B.Ed 4th Semester Exam Guide (Previous Year Solved)

Course: 1.4.6, Gender, School & Society

2 Marks Question

1. Mention any two differences between 'sex' and 'gender'. 'সেক্স' ও 'লিঙ্গের' মধ্যে যে-কোনো দুটি পার্থক্য উল্লেখ করুন। 'सेक्स' और 'जेंडर' के बीच कोई दो अंतर उल्लेख करें। **2018, 2020, 2022**

Or, State any two differences between 'Sex' & 'Gender'. 'লিঙ্গ' (Sex) এবং 'সামাজিক লিঙ্গ' (Gender)-এর মধ্যে যেকোনো দুটি পার্থক্য উল্লেখ করো। 'लिंग' (Sex) और 'जेंडर' (Gender) के बीच कोई दो अंतर बताइए। **2025**

Ans: परिचय: सामान्यतः *'सेक्स' (Sex)* से तात्पर्य व्यक्ति की जैविक पहचान से होता है, जो प्राकृतिक होती है। दूसरी ओर, *'जेंडर' (Gender)* एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है, जो समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं पर निर्धारित भूमिकाओं और व्यवहारों के आधार पर निर्मित होती है।

सेक्स और जेंडर के बीच दो मुख्य अंतर:

अंतर का आधार	सेक्स (Sex)	जेंडर (Gender)
1. प्रकृति और स्रोत	सेक्स एक जैविक और शारीरिक प्रक्रिया है। यह मुख्य रूप से गुणसूत्र (chromosomes), हार्मोन और प्रजनन अंगों की संरचना पर आधारित होता है।	जेंडर एक सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण है। यह समाज के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के व्यवहार और भूमिकाओं को निर्धारित करता है।
2. परिवर्तनशीलता	सेक्स सामान्यतः अपरिवर्तनीय और सार्वभौमिक होता है। जैविक	जेंडर समय, स्थान और समाज के अनुसार बदलता है। पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाएँ और

	विशेषताएँ समय और स्थान के अनुसार समान रहती हैं।	अधिकार समय के साथ बदल सकते हैं।

निष्कर्ष: अंत में कहा जा सकता है कि सेक्स एक जन्मजात या प्राकृतिक सत्य है, जो व्यक्ति को 'पुरुष' या 'महिला' के रूप में पहचान देता है। जबकि जेंडर समाज द्वारा निर्मित एक मानदंड है, जो व्यक्ति को 'स्त्रैण' या 'पुरुषोचित' व्यवहार के ढांचे में ढालता है। आधुनिक शिक्षा में इस अंतर को समझना अत्यंत आवश्यक है, ताकि लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर एक समानतापूर्ण समाज का निर्माण किया जा सके।

2. State two major aims of education according to the view of Swami Vivekananda. স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে শিক্ষার দুটি মুখ্য উদ্দেশ্য বিবৃত করুন। स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा के दो मुख्य उद्देश्य बताएं। **2018, 2021, 2023**

Ans: भूमिका: Swami Vivekananda के अनुसार, शिक्षा **"मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया"** है। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया। उनके प्रसिद्ध कथन के अनुसार, **"Education is the manifestation of the perfection already in man,"** अर्थात शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता का प्रकट होना है।

<u>शिक्षा के दो मुख्य उद्देश्य:</u>

1. अंतर्निहित पूर्णता का विकास: विवेकानंद के अनुसार, ज्ञान बाहर से नहीं आता, बल्कि यह मनुष्य के भीतर ही विद्यमान होता है। शिक्षा उस आवरण को हटाती है जो हमारी वास्तविक क्षमता को ढक देता है। प्रत्येक बच्चे में निहित सुप्त प्रतिभा और शक्ति को जागृत करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है।

2. चरित्र निर्माण और मनुष्य निर्माण: शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य आदर्श चरित्र का निर्माण करना है। उन्होंने ऐसी शिक्षा की बात कही जो इच्छाशक्ति को मजबूत करे, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाए और व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम बनाए। नैतिकता, त्याग और साहस के समन्वय से एक पूर्ण मनुष्य का निर्माण ही शिक्षा की सफलता है।

उपसंहार: अंत में कहा जा सकता है कि विवेकानंद का शिक्षादर्शन आधुनिक समाज में, विशेषकर लैंगिक असमानता को दूर करने में अत्यंत प्रासंगिक है। उनका मानना था कि जब शिक्षा मनुष्य को आत्मविश्वासी

और परोपकारी बनाती है, तब समाज से संकीर्णता दूर होती है और वास्तविक सामाजिक विकास संभव होता है।

3. What is Socialization? সামাজিকীকরণ কাকে বলে? सामाजीकरण क्या है? **2018, 2020, 2022**

Ans: **परिचय:** सामाजीकरण एक जीवनपर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति समाज के रीति-रिवाज, मूल्य, आदर्श और संस्कृति को सीखता है तथा समाज का एक सक्रिय सदस्य बनता है। यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक सतत् शिक्षण प्रक्रिया है।

सामाजीकरण की परिभाषा: सामान्य अर्थ में, जिस प्रक्रिया के माध्यम से एक मानव शिशु सामाजिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखता है और समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहारों को अपनाता है, उसे सामाजीकरण कहते हैं। बी.एड (चौथे सेमेस्टर) के पाठ्यक्रम के अनुसार, यह लिंग (Gender), विद्यालय और समाज के पारस्परिक संबंध का एक अभिन्न अंग है।

समाजशास्त्री ओगबर्न और निमकॉफ के अनुसार, "सामाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह के मानदंडों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है।"

सामाजीकरण की मुख्य विशेषताएँ:

1. यह एक निरंतर या जीवनपर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है।
2. इसके माध्यम से सामाजिक परंपराएँ और संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं।
3. यह व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में सहायता करती है।
4. परिवार, विद्यालय और मित्र समूह इस प्रक्रिया के प्रमुख माध्यम होते हैं।

निष्कर्ष: अंत में कहा जा सकता है कि सामाजीकरण केवल नियमों को सीखने का नाम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को सामाजिक प्राणी में परिवर्तित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। सही सामाजीकरण लिंग भेदभाव को समाप्त करने और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यक्ति को समाज के अनुकूल बनाता है और सामाजिक एकता बनाए रखने में सहायक होता है।

www.dascoaching.in

4. What is 'anxiety' as an emotional source of conflict? দ্বন্দ্বের প্রাক্ষোভিক উৎস হিসেবে উদ্বেগ কী? संघर्ष का एक भावनात्मक स्रोत के रूप में 'चिंता' क्या है? **2018, 2021, 2023**

Ans: भूमिका: मनुष्य जन्म से ही सामाजिक प्राणी होता है, लेकिन जन्म के समय वह केवल एक जैविक इकाई के रूप में इस दुनिया में आता है। समाज के साथ निरंतर अंतःक्रिया और पर्यावरण के साथ अनुकूलन के माध्यम से वह एक पूर्ण सामाजिक व्यक्ति में परिवर्तित होता है। इस जीवनपर्यंत चलने वाली प्रक्रिया को सामाजिककरण कहा जाता है।

मुख्य चर्चा: सामाजिककरण एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने समाज के नियम, मूल्य, आदर्श और संस्कृति को ग्रहण करता है और सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने योग्य बनता है। लिंग जागरूकता और सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्माण में इस प्रक्रिया का अत्यंत महत्व है।

1. **परिभाषा:** समाजशास्त्री ओगबर्न के अनुसार, "सामाजिककरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह के रीति-रिवाजों के साथ स्वयं को अनुकूल बनाना सीखता है।"
2. **मुख्य साधन:** परिवार, विद्यालय, सहपाठी समूह (Peer Group) और जनसंचार माध्यम सामाजिककरण के प्रमुख साधन हैं।

निष्कर्ष: अंततः कहा जा सकता है कि सामाजिककरण कोई अस्थायी घटना नहीं है, बल्कि यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास और लिंग भूमिकाओं की समझ में सहायता करती है तथा समाज की स्थिरता और एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

5. What is women empowerment? নারীর ক্ষমতায়ন কাকে বলে? महिला सशक्तिकरण क्या है? **2018, 2020, 2022**

Ans: प्रस्तावना: नारी सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को अधिकार देना नहीं है, बल्कि यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और समाज की मुख्य धारा में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है।

<u>नारी सशक्तिकरण की परिभाषा एवं अवधारणा:</u> बाबा साहेब आंबेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी (BSAEU) के पाठ्यक्रम के अनुसार, नारी सशक्तिकरण वह शक्ति है जो महिलाओं को अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने और भेदभाव रहित समाज के निर्माण का अवसर प्रदान करती है। इसके मुख्य पहलू हैं:

1. **आर्थिक स्वतंत्रता:** आय और संसाधनों पर महिलाओं के अधिकार की स्थापना।
2. **निर्णय लेने की क्षमता:** परिवार और समाज में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की योग्यता प्राप्त करना।
3. **शिक्षा का विस्तार:** शिक्षा के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना और कौशल का विकास करना।
4. **सामाजिक स्थिति:** लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर महिलाओं की सामाजिक स्थिति को मजबूत करना।

निष्कर्ष: अंत में कहा जा सकता है कि नारी सशक्तिकरण एक समग्र परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह समाज और राष्ट्र के विकास की कुंजी है। जब एक महिला अपने आंतरिक सामर्थ्य का विकास कर निर्भय होकर अपने विचार व्यक्त कर सकती है, तभी वास्तविक सशक्तिकरण संभव होता है।

6. What is gender normative behaviour? लिङ्गसूचक आदर्श आचरण की? लिंग मानक व्यवहार क्या है? **2019, 2020, 2022**

Ans: भूमिका: समाज और संस्कृति के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के लिए कुछ निश्चित आचरण, जिम्मेदारियाँ और अपेक्षाएँ निर्धारित की जाती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जैविक लिंग (Sex) के अनुसार समाज द्वारा अपेक्षित इन व्यवहारों का पालन करता है, तो उसे *लिंग-मानक व्यवहार (Gender Normative Behaviour)* कहा जाता है। यह मुख्यतः *जेंडर स्टेरियोटाइप* या लिंग आधारित पारंपरिक धारणाओं पर आधारित होता है।

<u>मुख्य चर्चा:</u> लिंग-मानक व्यवहार की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

1. **सामाजिक अपेक्षाएँ:** समाज मानता है कि पुरुष साहसी, कठोर और कमाने वाले होंगे, जबकि महिलाएँ कोमल, देखभाल करने वाली और घरेलू कार्यों में निपुण होंगी। इन अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करना आदर्श माना जाता है।
2. **पहनावा और व्यवहार:** लड़कों के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र (जैसे पैंट-शर्ट) और लड़कियों के लिए विशेष वस्त्र (जैसे साड़ी या सलवार-कमीज़) पहनना इस व्यवहार का हिस्सा माना जाता है।
3. **भावनाओं की अभिव्यक्ति:** पुरुषों द्वारा भावनाओं को नियंत्रित करना और महिलाओं का भावुक होना सामान्य या "आदर्श" माना जाता है।

4. **व्यावसायिक विभाजन:** जब समाज यह मानता है कि शिक्षण या नर्सिंग महिलाओं के लिए और इंजीनियरिंग या सेना पुरुषों के लिए उपयुक्त है, तब उसी अनुसार पेशा चुनना लिंग-मानक व्यवहार को दर्शाता है।

निष्कर्ष: अंत में कहा जा सकता है कि लिंग-मानक व्यवहार जन्मजात नहीं है, बल्कि यह समाजीकरण के माध्यम से सीखा जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली, विशेषकर बी.एड पाठ्यक्रम (Course 1.4.6) में, ऐसे रूढ़िवादी व्यवहारों को तोड़कर लिंग समानता (Gender Equality) स्थापित करने पर बल दिया जाता है। समाज और विद्यालय के संयुक्त प्रयास से इन संकीर्ण धारणाओं से बाहर निकला जा सकता है।

7. Mention two differences between Transgender and Transsexualism. লিঙ্গান্তর ও যৌনান্তরের দুটি পার্থক্য লিখুন। ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअलिज़्म के बीच दो अंतर लिखें। **2019, 2021, 2024**

Ans: प्रस्तावना: लिंग, स्कूल और समाज के संदर्भ में 'ट्रांसजेंडर' और 'ट्रांससेक्सुअलिज्म' के बीच के अंतर को समझना आवश्यक है। ये दोनों शब्द उन व्यक्तियों से संबंधित हैं जिनकी लैंगिक पहचान उनके जन्म के समय

१. **व्यापकता:** 'ट्रांसजेंडर' एक व्यापक शब्द है जिसमें वे सभी लोग आते हैं जिनकी पहचान जन्मजात लिंग से मेल नहीं खाती। इसके विपरीत, 'ट्रांससेक्सुअल' उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो चिकित्सा हस्तक्षेप के माध्यम से अपने शरीर को अपनी पहचान के अनुरूप बदलना चाहते हैं।

२. **परिवर्तन का आधार:** ट्रांसजेंडर होने के लिए किसी सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती, यह एक सामाजिक पहचान है। जबकि ट्रांससेक्सुअलिज्म में व्यक्ति अक्सर हार्मोन थेरेपी या सर्जरी (SRS) जैसे चिकित्सीय साधनों का उपयोग करके अपने शारीरिक लिंग को बदलते हैं।

निष्कर्ष: संक्षेप में, ट्रांसजेंडर एक व्यापक सामाजिक पहचान है, जबकि ट्रांससेक्सुअलिज्म शारीरिक और जैविक परिवर्तन की प्रक्रिया से अधिक जुड़ा है।

www.dascoaching.in

8. What is the basic aim of Feminist approach? নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান লক্ষ্য কী? नारीवादी दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है? **2019, 2021**

Ans: भूमिका: नारीवादी दृष्टिकोण एक सामाजिक और राजनीतिक दर्शन है, जो समाज को पितृसत्तात्मक संरचना से बाहर निकलकर स्त्री और पुरुष की समान गरिमा के आधार पर देखता है। इसका मूल आधार लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना है।

मुख्य उद्देश्य: नारीवादी दृष्टिकोण के मुख्य उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है-

1. **लैंगिक समानता की स्थापना:** समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्री और पुरुष के समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करना।
2. **पितृसत्ता का उन्मूलन:** समाज में विद्यमान पितृसत्तात्मक प्रभुत्व और महिलाओं पर पुरुषों के नियंत्रणकारी दृष्टिकोण को चुनौती देना और समाप्त करना।
3. **अधिकार और सशक्तिकरण:** संपत्ति के अधिकार, मतदान अधिकार और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना।
4. **लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन:** जन्म से ही लड़के और लड़कियों के बीच बनाए गए सामाजिक भेदभाव को समाप्त कर एक जेंडर-न्यूट्रल समाज का निर्माण करना।
5. **शिक्षा में अवसर:** विशेष रूप से बी.एड पाठ्यक्रम के संदर्भ में, विद्यालयों और पाठ्यपुस्तकों में लैंगिक रूढ़ियों को तोड़कर महिला शिक्षा को बढ़ावा देना।

उपसंहार: अंत में कहा जा सकता है कि नारीवादी दृष्टिकोण का उद्देश्य पुरुषों से घृणा करना या केवल उनके बराबर होना नहीं है, बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना है, जहाँ लिंग पहचान के कारण कोई भी दबाया न जाए और हर व्यक्ति अपने पूर्ण सामर्थ्य का विकास कर सके।

www.dascoaching.in

9. Write four comments of NCF about gender parity in school education. বিদ্যালয় শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা সৃষ্টিতে NCF-এর চারটি বক্তব্য লিখুন। विद्यालयी शिक्षा में लिंग समानता को लेकर NCF की चार टिप्पणियाँ लिखें। **2019, 2020, 2022, 2025**

Ans: भूमिका: राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (NCF) का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर एक समावेशी समाज का निर्माण करना है। लैंगिक समानता का अर्थ केवल लड़के और लड़कियों की संख्या में समानता नहीं है, बल्कि शिक्षा के हर स्तर पर समान अवसर और सम्मान प्रदान करना है।

<u>NCF के चार महत्वपूर्ण बिंदु:</u>

1. **लिंग-निरपेक्ष पाठ्यपुस्तक और विषयवस्तु:** NCF के अनुसार, पाठ्यपुस्तकों में पुरुष और महिलाओं की पारंपरिक सामाजिक भूमिकाओं (जैसे—घर का काम महिलाओं के लिए और बाहरी कार्य पुरुषों के लिए) को बदलना आवश्यक है। पाठ्यपुस्तकों में ऐसे उदाहरण और चित्र होने चाहिए जिनमें किसी प्रकार का लैंगिक भेदभाव न हो।

2. **महिला शिक्षकों का सशक्तिकरण और सहभागिता:** छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए विद्यालयों में अधिक महिला शिक्षकों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। इससे छात्राओं के स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति कम होती है और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

3. **सह-पाठ्यक्रमिक गतिविधियों में समान अवसर:** खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम या विज्ञान मेले—हर क्षेत्र में लड़के और लड़कियों को समान भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए। किसी भी कार्य को 'लड़कियों का' या 'लड़कों का' कहकर विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।

4. **शिक्षकों की दृष्टि और संवेदनशीलता:** कक्षा में शिक्षकों का लैंगिक रूप से संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है। उन्हें अनजाने में भी किसी छात्र या छात्रा के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए और विद्यार्थियों में लैंगिक समानता के मूल्यों को विकसित करना चाहिए।

निष्कर्ष: अंत में कहा जा सकता है कि NCF के ये निर्देश केवल नियम नहीं हैं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के साधन हैं। यदि इनका सही ढंग से विद्यालय स्तर पर पालन किया जाए, तो भविष्य में एक भेदभाव रहित और प्रगतिशील समाज का निर्माण संभव है।

www.dascoaching.in

11. What is emotional conflict? প্রাক্ষোভিক দ্বন্দ্ব বলতে কী বোঝেন? भावनात्मक संघर्ष क्या है? **2019, 2021**

Ans: <u>भूमिका:</u> मनोविज्ञान की भाषा में भावात्मक द्वंद्व वह मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति के भीतर एक ही समय में दो विपरीत भावनाएँ या प्रवृत्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। लिंग और समाजशास्त्रीय संदर्भ में, जब किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाएँ और सामाजिक अपेक्षाएँ आपस में टकराती हैं, तब इस प्रकार का मानसिक तनाव या भावात्मक द्वंद्व उत्पन्न होता है।

<u>Emotional conflict:</u> भावात्मक द्वंद्व मूलतः एक मानसिक संघर्ष है। जब कोई व्यक्ति दो विपरीत भावनाओं का सामना करता है—जैसे किसी कार्य को करने की तीव्र इच्छा, लेकिन उसे करने पर सामाजिक दंड का भय—तब यह स्थिति उत्पन्न होती है। बी.एड पाठ्यक्रम के "लिंग, विद्यालय और समाज" विषय के संदर्भ में कहा जा सकता है कि पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं का पालन करते समय छात्र अक्सर इस द्वंद्व का अनुभव करते हैं।

उदाहरण के लिए, जब एक छात्र अपनी सृजनात्मकता को व्यक्त करना चाहता है, लेकिन समाज उसे "कठोर" बनने की अपेक्षा करता है, तब उसके भीतर भावात्मक द्वंद्व उत्पन्न होता है। यह व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है और मानसिक चिंता पैदा करता है। इसके परिणामस्वरूप हीनभावना या आक्रामक व्यवहार भी देखने को मिल सकता है।

<u>निष्कर्ष:</u> अंत में कहा जा सकता है कि भावात्मक द्वंद्व छात्रों के सामान्य विकास में बाधा बन सकता है। इसलिए विद्यालय और समाज को ऐसा समावेशी वातावरण बनाना चाहिए, जहाँ छात्र लैंगिक भेदभाव से ऊपर उठकर अपनी भावनाओं को सही तरीके से नियंत्रित और व्यक्त कर सकें। सही भावात्मक विकास ही एक स्वस्थ और द्वंद्वमुक्त समाज की कुंजी है।

12. What do you mean by gender stereotype? লিঙ্গ অচলাধ্যাস বলতে আপনি কী বোঝেন? जेंडर स्टीरियोटाइप से आप क्या समझते हैं? **2021, 2022, 2024**

Ans: <u>परिचय:</u> लिंग रूढ़िवादिता (Gender Stereotyping) समाज और संस्कृति द्वारा थोपी गई ऐसी जड़ धारणाएँ या विश्वास हैं, जो पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं, व्यवहार और विशेषताओं को एक निश्चित ढाँचे में परखती हैं। यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता से अधिक उसके लिंग को महत्व देती है।

Gender stereotyping: लिंग रूढ़िवादिता से आशय समाज में प्रचलित उन सामान्यीकरणों से है, जो मानते हैं कि कुछ कार्य या गुण केवल पुरुषों के लिए और कुछ केवल महिलाओं के लिए निर्धारित हैं। जैसे:

1. **व्यवहार संबंधी धारणा:** समाज मानता है कि पुरुष कठोर और साहसी होंगे, जबकि महिलाएँ कोमल और भावुक होंगी।
2. **पेशागत विभाजन:** इंजीनियर या सैनिक जैसे कार्यों को "पुरुषोचित" और नर्सिंग या अध्यापन को "महिलाओं के लिए उपयुक्त" माना जाता है।
3. **घरेलू भूमिका:** यह धारणा कि घर के बाहर का काम पुरुष का और खाना बनाना तथा बच्चों की देखभाल केवल महिला की जिम्मेदारी है—भी लिंग रूढ़िवादिता का उदाहरण है।

विद्यालय और परिवार में बचपन से ही बच्चों के मन में ये धारणाएँ बिठा दी जाती हैं, जो उनके स्वाभाविक विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं।

निष्कर्ष: अंततः कहा जा सकता है कि लिंग रूढ़िवादिता एक संकीर्ण सोच है, जो लिंग असमानता को बढ़ावा देती है। एक प्रगतिशील समाज और निष्पक्ष शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य इन रूढ़ियों को तोड़ना और प्रत्येक विद्यार्थी को उसके लिंग से ऊपर उठकर एक मानव के रूप में विकसित होने में सहायता करना होना चाहिए।

13. Mention any two unexpected behaviours driven by sexuality. যে কোনো দুটি যৌনতাসূচক অবাঞ্ছিত আচরণ লিখুন। यौनिकता से उत्पन्न दो अवांछित व्यवहारों का उल्लेख करें। **2021, 2023**

Ans: परिचय: लिंग के समाजशास्त्रीय संदर्भ में 'यौनता' (Sexuality) मानव व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है। लेकिन जब यह यौन चेतना सामाजिक और नैतिक सीमाओं को पार कर दूसरों के लिए असुविधा का कारण बनती है, तब इसे 'अवांछित व्यवहार' कहा जाता है। विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों या कार्यस्थलों में इस प्रकार का व्यवहार लिंग असमानता और असुरक्षा को बढ़ाता है।

दो अवांछित व्यवहार: यौनता से प्रेरित दो प्रमुख अवांछित व्यवहार हैं-

1. यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment): यह अत्यंत संवेदनशील और हानिकारक व्यवहार है। इसमें अनचाहा शारीरिक स्पर्श, अश्लील टिप्पणियाँ करना, या यौन संकेतों वाले मज़ाक या इशारों से परेशान

करना शामिल है। विद्यालय के वातावरण में सहपाठियों या अन्य लोगों द्वारा इस प्रकार का व्यवहार छात्रों के मानसिक विकास में बाधा डालता है और शैक्षणिक माहौल को दूषित करता है।

2. लैंगिक अपमान या रूढ़िवादिता (Gender Slurs and Stereotyping): किसी व्यक्ति को उसकी यौन अभिमुखता या लैंगिक पहचान के आधार पर अपमानित करना या गलत लेबल देना एक नकारात्मक व्यवहार है। जैसे—यदि कोई लड़का "पुरुषोचित" व्यवहार नहीं करता तो उसका मज़ाक उड़ाना। इस प्रकार का व्यवहार व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाता है और सामाजिक विभाजन पैदा करता है।

निष्कर्ष: अंत में कहा जा सकता है कि एक स्वस्थ और लिंग-निरपेक्ष समाज के निर्माण के लिए ऐसे अवांछित व्यवहारों को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। बी.एड पाठ्यक्रम में इस विषय को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य भावी शिक्षकों को जागरूक करना है, ताकि वे विद्यालयों में एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाए रख सकें।

14. What do you mean by gender bias? লিঙ্গ পক্ষপাত বলতে আপনি কি বোঝেন? जेंडर बायस से आप क्या समझते हैं? **2023**

Ans: भूमिका: मानव समाज में प्रचलित एक अत्यंत संवेदनशील और प्रासंगिक अवधारणा है 'लिंग पक्षपात'। यह मूलतः एक सामाजिक दृष्टिकोण है, जिसमें जैविक भिन्नताओं से परे जाकर समाज द्वारा निर्धारित लिंग पहचान के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है।

लिंग पक्षपात की मूल अवधारणा: लिंग पक्षपात से आशय ऐसी एकतरफा मानसिकता से है, जिसमें किसी एक विशेष लिंग (आमतौर पर पुरुष या महिला) को अधिक अवसर और सुविधाएँ दी जाती हैं तथा दूसरे लिंग की उपेक्षा या उसे वंचित किया जाता है। यह एक पूर्वनिर्धारित धारणा या 'रूढ़िवादिता' (स्टिरियोटाइप) है, जिसमें बिना किसी तार्किक आधार के केवल लिंग के आधार पर व्यक्ति की योग्यता या गुणों का आकलन किया जाता है।

शिक्षा क्षेत्र में प्रभाव: विद्यालय और समाज में यह विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। जैसे— कुछ कार्यों को 'लड़कियों का काम' या 'लड़कों का काम' माना जाना; पाठ्यपुस्तकों में पुरुष पात्रों को अधिक शक्तिशाली और महिला पात्रों को केवल गृहकार्य में निपुण दिखाना; या कक्षा में शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा किसी एक लिंग को अधिक महत्व देना।

उपसंहार: अंततः कहा जा सकता है कि लिंग पक्षपात एक प्रगतिशील समाज के विकास में बाधा है। एक स्वस्थ और समानतापूर्ण समाज तथा विद्यालय वातावरण के निर्माण के लिए इस संकीर्ण मानसिकता को त्यागकर लिंग समानता स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा ही वह माध्यम है जो विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाकर लिंग-निरपेक्ष दृष्टिकोण विकसित कर सकती है।

15. What is meant by gender discrimination? লিঙ্গ বৈষম্য বলতে কি বোঝায়? लिंग भेदभाव से क्या अभिप्रेत है? **2023**

Ans: परिचय: लिंग असमानता एक सामाजिक समस्या है, जिसमें जैविक लिंग या सामाजिक लिंग पहचान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। यह मुख्यतः पुरुष, महिला और तृतीय लिंग के व्यक्तियों के बीच अधिकारों, अवसरों और सम्मान के असमान वितरण को दर्शाता है।

Gender inequality: समाजशास्त्रियों के अनुसार, लिंग असमानता कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक रूप से निर्मित अवधारणा है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं:

1. **अवसरों की कमी:** शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में लड़कों को लड़कियों की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जाती है।
2. **आर्थिक असमानता:** समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं के वेतन में अंतर, या कार्यस्थल पर पदोन्नति में लिंग आधारित बाधाएँ (ग्लास सीलिंग)।
3. **सामाजिक भूमिकाएँ:** "पुरुष कमाएंगे" और "महिलाएँ घरेलू कार्य करेंगी"—ऐसी पारंपरिक धारणाएँ असमानता को बढ़ावा देती हैं।
4. **अधिकारों का हनन:** निर्णय लेने या संपत्ति के अधिकार में किसी विशेष लिंग को वंचित करना।

बी.एड पाठ्यक्रम के संदर्भ में, विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकों, शिक्षकों के व्यवहार या सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से यह असमानता कई बार अनजाने में दिखाई देती है।

निष्कर्ष: अंत में कहा जा सकता है कि लिंग असमानता केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि विकास में बाधा है। एक स्वस्थ और विकसित समाज के निर्माण के लिए विद्यालयों में लिंग-निरपेक्ष शिक्षा और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। केवल कानूनी सुरक्षा ही नहीं, बल्कि मानसिकता में परिवर्तन के माध्यम से ही इस असमानता को समाप्त किया जा सकता है।

16. Define sexual harassment. যৌন হয়রানিকে সংজ্ঞায়িত করুন। यौन उत्पीड़न को परिभाषित करें। **2023**

Or, what is 'Sexual harassment'? যৌন হয়রানি। यौन उत्पीड़न । **2025**

Ans: <u>भूमिका:</u> यौन उत्पीड़न एक गंभीर सामाजिक समस्या और लिंग आधारित भेदभाव का एक रूप है, जो व्यक्ति की गरिमा और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह शिक्षण संस्थानों और कार्यस्थलों पर एक भयपूर्ण और प्रतिकूल वातावरण उत्पन्न करता है।

<u>परिभाषा:</u> विशाखा दिशा-निर्देशों और **POSH अधिनियम (2013)** के अनुसार, यौन उत्पीड़न में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किए गए निम्नलिखित अवांछित कार्य या व्यवहार शामिल हैं:

1. शारीरिक संपर्क और छेड़छाड़।
2. यौन अनुग्रह (sexual favors) की मांग या अनुरोध करना।
3. यौन अर्थ वाली टिप्पणियां करना।
4. अश्लील साहित्य (pornography) दिखाना।
5. यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण।

<u>निष्कर्ष:</u> 'लिंग, स्कूल और समाज' के संदर्भ में, यौन उत्पीड़न को परिभाषित करना और समझना एक न्यायसंगत वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है। यह केवल एक व्यक्तिगत अपराध नहीं है, बल्कि सामाजिक समानता और न्याय के मार्ग में एक बाधा है।

17. What is meant by body image? দৈহিক ভাবমূর্তি বলতে কি বোঝায়? बॉडी इमेज से आप क्या समझते हैं? **2023**

Ans: <u>भूमिका:</u> शारीरिक छवि (Body Image) से आशय किसी व्यक्ति की अपने शारीरिक गठन या रूप-रंग के प्रति मानसिक धारणा से है। यह केवल दर्पण में स्वयं को देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने शरीर के प्रति व्यक्ति की भावनाओं, विचारों और विश्वासों की समग्र अभिव्यक्ति है।

<u>Body Image:</u> शारीरिक छवि मुख्यतः तीन आधारों पर निर्मित होती है-

1. **धारणा (Perception):** व्यक्ति अपने शरीर या उसके किसी विशेष भाग को किस प्रकार देखता है।

2. **मनोवैज्ञानिक भावनाएँ:** अपनी ऊँचाई, वजन या त्वचा के रंग के प्रति संतुष्टि या असंतुष्टि की भावना।

3. **सामाजिक प्रभाव:** समाज या मीडिया द्वारा निर्धारित 'आदर्श सौंदर्य' के मानकों के आधार पर अपने शरीर का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति।

बी.एड पाठ्यक्रम के संदर्भ में, लिंग भेदभाव और सामाजिक परंपराएँ अक्सर किशोर-किशोरियों में एक विशेष प्रकार के शारीरिक ढाँचे की अपेक्षा उत्पन्न करती हैं। यदि यह मानसिक धारणा सकारात्मक हो, तो आत्मविश्वास बढ़ता है; वहीं नकारात्मक धारणा हीन भावना और अवसाद का कारण बन सकती है।

उपसंहार: अंततः कहा जा सकता है कि शारीरिक छवि मन का एक आंतरिक मानचित्र है। लिंग-निरपेक्ष और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए विद्यार्थियों में सकारात्मक शारीरिक छवि का विकास अत्यंत आवश्यक है, जो उनके समग्र व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है।

18. What is gender stability? লিঙ্গ পরিচিতির স্থায়িত্ব বলতে কি বোঝেন? जेंडर स्टेबिलिटी से क्या अभिप्राय है? **2024**

Ans: प्रस्तावना: मनोवैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया में लैंगिक पहचान का निर्माण एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। बच्चे का अपने लिंग के प्रति जागरूक होना और समय के साथ उसकी स्थिरता को समझना ही लैंगिक स्थायित्व (Gender Stability) कहलाता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक Lawrence Kohlberg ने अपने *Cognitive Developmental Theory* में इसे लैंगिक विकास के दूसरे चरण के रूप में उल्लेख किया है।

लैंगिक स्थायित्व की अवधारणा: सामान्यतः 3 से 5 वर्ष की आयु के बीच बच्चों में लैंगिक स्थायित्व की अवधारणा विकसित होती है। इस चरण की मुख्य विशेषताएँ हैं:

1. **अपरिवर्तनीयता:** बच्चा समझने लगता है कि उसका लिंग समय के साथ नहीं बदलता। अर्थात् एक लड़का समझता है कि वह बड़ा होकर पुरुष बनेगा और एक लड़की समझती है कि वह बड़ी होकर महिला बनेगी।

2. **विकासात्मक समझ:** इस अवस्था में बच्चा यह समझता है कि कपड़ों या बालों की शैली बदलने पर भी उसका लैंगिक अस्तित्व वही रहता है।

3. **सीमाएँ:** इस चरण में बच्चों में लैंगिक स्थिरता (Gender Constancy) की पूर्ण समझ का अभाव हो सकता है। वे अक्सर बाहरी व्यवहार या रूप में परिवर्तन के आधार पर दूसरों के लिंग को पहचानने में भ्रमित हो सकते हैं।

निष्कर्ष: अंत में कहा जा सकता है कि लैंगिक स्थायित्व बच्चे की आत्म-पहचान के निर्माण का एक प्रारंभिक चरण है। यह बच्चे को उसकी सामाजिक भूमिकाओं को समझने में सहायता करता है और आगे चलकर स्वस्थ सामाजिककरण तथा लैंगिक संतुलन में सहायक होता है। बी.एड पाठ्यक्रम के संदर्भ में, लैंगिक संवेदनशील विद्यालय वातावरण के निर्माण में यह अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

19. State two major aims of education according to the view of Begum Rokeya. বেগম রোকেয়ার দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে শিক্ষার দুটি মুখ্য উদ্দেশ্য বিবৃত করুন। बेगम रुकैया के दृष्टिकोण से शिक्षा के दो मुख्य उद्देश्य बताइए। **2024**

Ans: भूमिका: बेगम रुकैया का मानना था कि किसी समाज के समग्र विकास के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का शिक्षित होना आवश्यक है। उनके अनुसार, शिक्षा आत्मा का प्रकाश है, जो मन के अंधकार को दूर करती है और अंधविश्वास से मुक्ति दिलाती है।

शिक्षा के दो मुख्य उद्देश्य:

1. **आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना:** रुकैया के अनुसार, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। उनका मानना था कि यदि महिलाएँ शिक्षित होकर अपनी आजीविका का साधन नहीं बना पाती हैं, तो समाज में उनकी दासता कभी समाप्त नहीं होगी। शिक्षा महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करती है, जिससे वे जीवन के संघर्ष में सफल हो सकती हैं।

2. **तार्किक सोच और अंधविश्वास से मुक्ति:** महिलाओं की मानसिक दासता को समाप्त करना उनके शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य था। वे चाहती थीं कि शिक्षा के माध्यम से महिलाएँ धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास और 'पर्दा प्रथा' की निरर्थकता को समझें। तर्क और विवेक का उपयोग करके समाज और परिवार में अपने अधिकार स्थापित करना ही उनके द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का आधार था।

www.dascoaching.in

निष्कर्ष: अंत में कहा जा सकता है कि बेगम रुकैया के लिए शिक्षा समानता का एक सशक्त माध्यम थी। वे ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहती थीं, जो महिलाओं को केवल एक अच्छी गृहिणी ही नहीं, बल्कि एक पूर्ण मानव के रूप में विकसित करे, ताकि वे समाज के विकास में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें।

20. Explain in brief the social construction of gender. লিঙ্গের সামাজিক বিনির্মাণ সংক্ষেপে বিবৃত করুন। लिंग का सामाजिक निर्माण संक्षेप में समझाइए। **2024**

Ans: भूमिका: लिंग या "जेंडर" कोई जैविक विषय नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है। समाज की अपेक्षाओं के अनुसार पुरुष और महिला की भूमिकाएँ, व्यवहार और विशेषताएँ जिस प्रकार निर्धारित की जाती हैं, उसे लिंग का सामाजिक निर्माण कहा जाता है।

मुख्य चर्चा: लिंग के सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया मुख्य रूप से समाज और संस्कृति द्वारा नियंत्रित होती है। इसके प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं-

1. **भेद निर्धारण:** समाज "सेक्स" (जैविक विशेषताओं) के आधार पर "जेंडर" (सामाजिक पहचान) आरोपित करता है। अर्थात, जन्म से प्राप्त लिंग के आधार पर समाज कुछ विशेष पहनावे, बोलने के तरीके और कार्य निर्धारित करता है।

2. **सामाजीकरण:** बचपन से ही परिवार, विद्यालय और मीडिया बच्चों को सिखाते हैं कि एक लड़का या लड़की के रूप में उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। जैसे— लड़कों को साहसी और लड़कियों को सहनशील या भावनात्मक बनाया जाता है।

3. **कार्य विभाजन:** समाज यह निर्धारित करता है कि बाहरी कार्य या कमाई को पुरुषोचित और घर के काम या देखभाल को स्त्रीसुलभ माना जाएगा।

उपसंहार: अंत में कहा जा सकता है कि लिंग पहचान कोई प्राकृतिक सत्य नहीं है, बल्कि यह समाज द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यवस्था है। समय और संस्कृति के परिवर्तन के साथ ये लिंग संबंधी धारणाएँ भी बदल सकती हैं। इसलिए, लिंग समानता स्थापित करने के लिए इस सामाजिक निर्माण को समझना अत्यंत आवश्यक है।

www.dascoaching.in

21. What is sexual violence? যৌন হিংস্রতা বলতে কি বোঝায়? यौन हिंसा क्या है? **2024**

Ans: भूमिका: वर्तमान समाज में लिंग-आधारित अपराधों में यौन हिंसा एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर समस्या है। यह मुख्य रूप से किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उस पर शारीरिक या मानसिक रूप से कोई यौन क्रिया थोपने को दर्शाता है।

<u>यौन हिंसा की परिभाषा और प्रकृति:</u> World Health Organization के अनुसार, यौन हिंसा वह कृत्य है जिसमें किसी व्यक्ति की यौनता या लैंगिक पहचान को लक्ष्य बनाकर जबरन यौन क्रिया करने का प्रयास किया जाता है। इसके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं-

1. **अनिच्छित शारीरिक स्पर्श:** किसी व्यक्ति के निजी अंगों को उसकी इच्छा या अनुमति के बिना छूना।
2. **मानसिक और मौखिक उत्पीड़न:** अश्लील टिप्पणियाँ करना, यौन संकेत देने वाले इशारे करना या डराकर किसी को यौन क्रिया के लिए बाध्य करना।
3. **शक्ति का दुरुपयोग:** कई मामलों में कार्यस्थल या शैक्षणिक संस्थानों में उच्च पदस्थ व्यक्ति द्वारा अधीनस्थ व्यक्ति का यौन उत्पीड़न भी इसमें शामिल है।
4. **डिजिटल माध्यम:** वर्तमान समय में इंटरनेट के माध्यम से आपत्तिजनक चित्र या संदेश भेजना भी यौन हिंसा का एक आधुनिक रूप है।

उपसंहार: अंत में कहा जा सकता है कि यौन हिंसा केवल शारीरिक चोट नहीं है, बल्कि यह किसी व्यक्ति के मानवाधिकार और गरिमा का गंभीर उल्लंघन है। विशेष रूप से विद्यालय के वातावरण में छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाना और लैंगिक समानता स्थापित करना इस सामाजिक समस्या को दूर करने में सहायक हो सकता है। बी.एड. प्रशिक्षण के संदर्भ में शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे छात्रों को इस विषय में जागरूक करें ताकि एक सुरक्षित और स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके।

22. Briefly discuss the concept of gender stereotype. লিঙ্গ আচলাধ্যাস এর ধারণা সংক্ষেপে লিখুন। जेंडर स्टीरियोटाइप की अवधारणा संक्षेप में लिखें। **2024**

Ans: भूमिका: लिंग आधारित रूढ़िवाद (Gender Stereotyping) समाज में गहराई से जमी हुई ऐसी धारणाएँ हैं, जो पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं, व्यवहारों और विशेषताओं को एक निश्चित सीमा में

बाँध देती हैं। यह मूलतः बिना किसी तार्किक विचार के लिंग के आधार पर लोगों का मूल्यांकन करने की एक संकीर्ण प्रक्रिया है।

मुख्य अवधारणा: लिंग रूढ़िवाद से हम समझते हैं—

1. **पूर्वनिर्धारित भूमिकाएँ:** समाज मानता है कि कुछ कार्य केवल पुरुषों के लिए होते हैं (जैसे: कमाना, कठिन परिश्रम करना) और कुछ केवल महिलाओं के लिए (जैसे: खाना बनाना, बच्चों का पालन-पोषण)।
2. **व्यवहारगत विशेषताएँ:** आमतौर पर यह माना जाता है कि पुरुष साहसी और कठोर होते हैं, जबकि महिलाएँ कोमल और भावनात्मक होती हैं।
3. **प्रभाव:** ये धारणाएँ व्यक्ति के स्वाभाविक विकास में बाधा डालती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई लड़का नृत्य सीखना चाहता है या कोई लड़की लड़ाकू विमान उड़ाना चाहती है, तो ये रूढ़िवाद उनके रास्ते में सामाजिक बाधा बनते हैं। यह भेदभाव और अंधविश्वास को बनाए रखने में भी सहायक है।

निष्कर्ष: अंत में कहा जा सकता है कि लिंग रूढ़िवाद एक स्वस्थ समाज के निर्माण के विपरीत है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख उद्देश्य छात्रों को इस संकीर्ण मानसिकता से मुक्त करना होना चाहिए, ताकि वे लिंग की परवाह किए बिना अपनी क्षमताओं और रुचियों के अनुसार विकसित हो सकें। एक लिंग-निरपेक्ष समाज के निर्माण के लिए इन रूढ़िवादों को तोड़ना अत्यंत आवश्यक है।

23. Give a definition of 'Society'. 'Society' বা 'সমাজ'-এর একটি সংজ্ঞা দাও। 'समाज' (Society) की परिभाषा दीजिए। **2025**

Ans: भूमिका: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आदिम युग से ही मनुष्य अपने अस्तित्व की रक्षा और विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समूह में रहना शुरू कर दिया। यह सामूहिक जीवन और व्यक्तियों के बीच संबंधों का जटिल जाल ही 'समाज' कहलाता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज केवल लोगों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक संगठित संरचना है।

<u>मुख्य चर्चा (समाज की परिभाषा):</u> प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों के अनुसार समाज की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं-

1. **मैकाइवर और पेज (MacIver and Page):** उनके अनुसार, "समाज रीतियों, प्रक्रियाओं, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, विभिन्न समूहों एवं विभाजनों तथा मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वतंत्रता की एक व्यवस्था है।" यह सामाजिक संबंधों का एक परिवर्तनशील जाल है।

2. **ऑगस्ट कॉम्ट (Auguste Comte):** समाजशास्त्र के जनक कॉम्ट के अनुसार, समाज एक सुव्यवस्थित सामाजिक संरचना है, जिसमें विभिन्न अंग आपस में समन्वय के साथ कार्य करते हैं।

3. **सामान्य परिभाषा:** समाज उस जनसमूह को कहते हैं जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय तक साथ रहता है, जिनमें समान संस्कृति होती है, और जो सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पारस्परिक क्रिया में संलग्न रहते हैं।

निष्कर्ष: अंत में कहा जा सकता है कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है, जो लोगों के बीच सामाजिक संबंधों, मूल्यों और परंपराओं के समन्वय से निर्मित होती है। लैंगिक भेदभाव को दूर करने और एक आदर्श विद्यालय वातावरण के निर्माण में समाज की इस अवधारणा का विशेष महत्व है, क्योंकि विद्यालय समाज का एक लघु रूप (Miniature Society) होता है।

24. What is 'body shaming'? 'Body shaming' (বডি শেমিং) বা শরীর নিয়ে উপহাস করা বলতে কী বোঝায়? 'बॉडी शेमिंग' (body shaming) क्या है? **2025**

Ans: <u>भूमिका:</u> वर्तमान समाज में लोगों के शारीरिक गठन, त्वचा के रंग या ऊँचाई को लेकर नकारात्मक टिप्पणियाँ करने की प्रवृत्ति देखी जाती है, जिसे समाजशास्त्र और शिक्षा के संदर्भ में *"बॉडी शेमिंग"* कहा जाता है। बी.एड. चतुर्थ सेमेस्टर के *"जेंडर, स्कूल और सोसायटी"* पाठ्यक्रम में यह एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह सीधे छात्रों के मानसिक विकास और सामाजिकरण को प्रभावित करता है।

<u>बॉडी शेमिंग की अवधारणा:</u> बॉडी शेमिंग का अर्थ है किसी व्यक्ति के शारीरिक स्वरूप, वजन (अधिक मोटापा या अत्यधिक दुबलापन), त्वचा के रंग, ऊँचाई या किसी शारीरिक कमी के आधार पर उसका मज़ाक उड़ाना, अपमान करना या उसे हीन भावना से ग्रस्त करना। यह एक सामाजिक समस्या है जो व्यक्ति के मन पर गहरा प्रभाव डालती है।

बाबासाहेब अंबेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी (BSAEU) के पाठ्यक्रम के अनुसार, लिंग असमानता और सामाजिक संरचना के संदर्भ में बॉडी शेमिंग के मुख्य पहलू हैं:

1. **अवास्तविक सौंदर्य मानदंड:** यदि कोई व्यक्ति समाज या मीडिया द्वारा निर्धारित सौंदर्य के मानकों में फिट नहीं बैठता, तो उसका उपहास किया जाता है।

2. **मानसिक प्रभाव:** इससे प्रभावित व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी, चिंता और अवसाद उत्पन्न होता है।

3. **विद्यालय की भूमिका:** कई बार विद्यालय में सहपाठियों द्वारा छात्रों को इस प्रकार के अपमान का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है।

उपसंहार: अंत में कहा जा सकता है कि बॉडी शेमिंग केवल एक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक समस्या है। एक स्वस्थ समाज और समावेशी विद्यालय वातावरण के निर्माण के लिए शारीरिक विविधता का सम्मान करना और इस प्रकार की मानसिकता के खिलाफ जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है।

25. State any two reasons for a paradigm shift from 'women studies' to 'gender studies. 'নারী বিদ্যা' (women studies) থেকে 'লিঙ্গ বিদ্যা' (gender studies)-তে এই যে আমূল পরিবর্তন বা দৃষ্টিভঙ্গির বদল (paradigm shift) ঘটেছে, তার যেকোনো দুটি কারণ উল্লেখ করো। 'महिला अध्ययन' (women studies) से 'जेंडर अध्ययन' (gender studies) की ओर हुए वैचारिक बदलाव (paradigm shift) के कोई दो कारण बताइए। **2025.**

Ans: <u>भूमिका</u>: बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समाजशास्त्रीय चिंतन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखा गया। पहले जहाँ केवल महिलाओं की समस्याओं और अधिकारों पर *Women's Studies* के अंतर्गत अध्ययन किया जाता था, अब उसका विस्तार होकर *Gender Studies* में परिवर्तित हो गया है। इस परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य लिंग-आधारित भेदभाव को एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में समझना है।

<u>परिवर्तन के दो प्रमुख कारण:</u>

1. सामाजिक निर्माण और पुरुषत्व की चर्चा: Women's Studies मुख्यतः जैविक स्त्रीत्व पर केंद्रित था। लेकिन Gender Studies मानता है कि "स्त्री" या "पुरुष" होना केवल जैविक नहीं, बल्कि एक सामाजिक निर्माण (Social Construct) है। इसमें नारीवाद के साथ-साथ पुरुषत्व (Masculinity) और अन्य लिंग

पहचानों पर भी चर्चा की जाती है। क्योंकि पुरुषों की भूमिका और पितृसत्तात्मक मानसिकता को समझे बिना महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के वास्तविक कारणों को समझना संभव नहीं है।

2. समावेशन और समग्र दृष्टिकोण: Women's Studies महिलाओं तक सीमित होने के कारण कई बार एकपक्षीय हो जाता था। इसके विपरीत, Gender Studies एक समग्र या लिंग-तटस्थ (Gender Neutral) दृष्टिकोण अपनाता है। यह महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर सहित समाज के सभी वर्गों की लिंग स्थिति, शक्ति और आपसी संबंधों का विश्लेषण करता है। इससे समाज की संरचना का एक पूर्ण चित्र सामने आता है।

उपसंहार: अंत में कहा जा सकता है कि Women's Studies से Gender Studies की ओर यह परिवर्तन संकीर्णता से उदारता की ओर एक यात्रा है। यह केवल महिलाओं के सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज से सभी प्रकार के लिंग-आधारित पूर्वाग्रह और भेदभाव को समाप्त कर एक समानतापूर्ण समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है।

26. Write the difference between the term 'transgender' and 'Intersexual'. 'ট্রান্সজেন্ডার' (transgender) এবং 'ইন্টারসেক্সুয়াল' (intersexual)-এর মধ্যে পার্থক্য লেখো। 'ट्रांसजेंडर' (transgender) और 'इंटरसेक्शुअल' (intersexual) शब्दों के बीच अंतर लिखिए। **2025**

Ans: भूमिका: लिंग और यौनता से संबंधित चर्चाओं में *ट्रांसजेंडर* और *इंटरसेक्सुअल* शब्द अक्सर भ्रम उत्पन्न करते हैं। लेकिन समाजशास्त्रीय और जैविक दृष्टिकोण से इन दोनों अवधारणाओं में मूलभूत अंतर है। मूलतः, एक व्यक्ति की पहचान (Identity) को दर्शाता है, जबकि दूसरा शारीरिक विशेषताओं (Biological traits) को व्यक्त करता है।

मुख्य अंतर:

अंतर का आधार	ट्रांसजेंडर	इंटरसेक्सुअल
परिभाषा	जब किसी व्यक्ति की जन्म के समय निर्धारित लिंग पहचान और उसकी	इंटरसेक्सुअल वे व्यक्ति होते हैं जिनके जन्म के समय शारीरिक लिंग विशेषताएँ (क्रोमोसोम, जननांग या हार्मोन) पुरुष या

	स्वयं की लिंग पहचान अलग होती है, तो उसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है।	महिला की पारंपरिक परिभाषा में नहीं आतीं।
आधार	यह मुख्यतः लिंग पहचान और मानसिक अनुभव से संबंधित है।	यह पूरी तरह जैविक और शारीरिक संरचना पर आधारित है।
प्रकट होने का समय	यह जीवन के किसी भी चरण में व्यक्ति की अनुभूति के माध्यम से प्रकट हो सकता है।	यह जन्म के समय दिखाई दे सकता है या किशोरावस्था में स्पष्ट होता है।
सर्जरी/उपचार	कुछ लोग अपनी पहचान के अनुसार शरीर में बदलाव के लिए सर्जरी या हार्मोन थेरेपी अपनाते हैं (वैकल्पिक)।	पहले डॉक्टर जन्म के समय ही लिंग निर्धारण सर्जरी करते थे, जो अब विवादास्पद मानी जाती है।

निष्कर्ष: अंत में कहा जा सकता है कि ट्रांसजेंडर होना एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहचान है, जबकि इंटरसेक्सुअल होना एक प्राकृतिक जैविक विविधता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस अंतर को समझना बहुत आवश्यक है, ताकि प्रत्येक छात्र की विशिष्टता का सम्मान किया जा सके और एक समावेशी वातावरण का निर्माण किया जा सके।

5 Marks Question

1. Describe contribution of Begam Rokeya as a social reformer. সমাজ সংস্কারক হিসেবে বেগম রোকেয়ার অবদান বর্ণনা করুন। सामाजिक सुधारक के रूप में बेगम रोकेया के योगदान का वर्णन करें। **2018, 2021, 2023**

Ans: प्रस्तावना: उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण और बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में, Begum Rokeya Sakhawat Hossain (1880–1932) अविभाजित बंगाल में मुस्लिम महिलाओं के जागरण की अग्रदूत थीं। उस समय के रूढ़िवादी समाज में, जहाँ महिलाओं को पर्दा प्रथा के अंधकार में सीमित रखा जाता था, वहाँ उन्होंने अकेले ही शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए संघर्ष किया। लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने और महिला स्वतंत्रता के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है।

सामाजिक सुधार के प्रमुख पहलू:

1. **महिला शिक्षा का प्रसार:** रोकैया का मानना था कि शिक्षा की कमी ही महिलाओं के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। 1909 में उन्होंने भागलपुर में एक विद्यालय स्थापित किया और बाद में 1911 में कोलकाता में *साखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल* की स्थापना की। वे घर-घर जाकर अभिभावकों को समझाकर लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करती थीं।

2. **संस्थागत पहल (अंजुमन-ए-खवातीन-ए-इस्लाम):** 1916 में उन्होंने *अंजुमन-ए-खवातीन-ए-इस्लाम* (निखिल बंग मुस्लिम महिला समिति) की स्थापना की। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने गरीब और असहाय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान की।

3. **अवरोध प्रथा का विरोध:** रोकैया पर्दा प्रथा के पूरी तरह विरोधी नहीं थीं, लेकिन वे उस कठोर अवरोध प्रणाली के खिलाफ थीं जो महिलाओं को चारदीवारी में कैद कर देती थी। अपनी पुस्तक *अबरोधबासिनी* में उन्होंने इस प्रथा के दुष्परिणामों को साहसपूर्वक प्रस्तुत किया।

4. **लैंगिक समानता और लेखन के माध्यम से जागरूकता:** उनकी रचनाएँ जैसे *सुल्ताना का सपना*, *मोतिचूर* और *पद्मराग* में उन्होंने महिला-पुरुष समानता की बात कही। उन्होंने तर्क के माध्यम से दिखाया कि समाज के समग्र विकास के लिए दोनों का समान योगदान आवश्यक है।

5. **आर्थिक आत्मनिर्भरता:** उन्होंने समझा कि यदि महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगी, तो समाज में उनका सम्मान स्थापित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने महिलाओं को हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के माध्यम से आय के रास्ते दिखाने का प्रयास किया।

निष्कर्ष: अंत में कहा जा सकता है कि बेगम रोकैया केवल एक साहित्यकार नहीं थीं, बल्कि एक दूरदर्शी समाज सुधारक थीं। प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने महिला शिक्षा के जो बीज बोए, आज बंगाल की महिलाएँ उसके लाभ प्राप्त कर रही हैं। उनका जीवन और विचार आज भी लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

www.dascoaching.in

2. Discuss the role of workplace as the agency of perpetuating violence. ধারাবাহিক হিংস্রতার সংস্থা হিসেবে কর্মক্ষেত্রের ভূমিকা আলোচনা করুন। हिंसा को बनाए रखने वाली संस्था के रूप में कार्यस्थल की भूमिका पर चर्चा करें। **2018, 2020, 2021, 2024**

Ans: <u>भूमिका</u>: समाजशास्त्रियों और नारीवादियों के अनुसार, कार्यस्थल केवल उत्पादन या सेवा प्रदान करने का स्थान नहीं है, बल्कि यह समाज में मौजूद लैंगिक असमानताओं और शक्ति संरचनाओं का प्रतिबिंब भी है। कई मामलों में, कार्यस्थल एक ऐसी "एजेंसी" या संस्था के रूप में कार्य करता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लैंगिक हिंसा को बनाए रखता और बढ़ावा देता है।

<u>कार्यस्थल पर हिंसा को बनाए रखने के प्रमुख पहलू</u>: कार्यस्थल पर निरंतर हिंसा या उत्पीड़न जिन तरीकों से बना रहता है, वे निम्नलिखित हैं-

1. **शक्ति का दुरुपयोग और प्रभुत्व:** अधिकांश कार्यस्थलों में उच्च पदों पर पुरुषों का वर्चस्व होता है। यह असमान शक्ति संरचना अधीनस्थ महिला कर्मचारियों पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के अवसर पैदा करती है। 'बॉस–कर्मचारी' संबंध में निहित यह प्रभुत्व हिंसा को निरंतर बनाए रखता है।

2. **यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment):** अनुचित शारीरिक स्पर्श, अश्लील टिप्पणियाँ या इशारे, तथा पदोन्नति के बदले अनैतिक लाभ की मांग जैसे मामले निरंतर हिंसा के गंभीर उदाहरण हैं। कई बार पीड़ित नौकरी खोने के डर से चुप रहते हैं, जिससे अपराधियों को दोबारा ऐसा करने का साहस मिलता है।

3. **वेतन असमानता और आर्थिक हिंसा:** समान पद पर कार्य करने के बावजूद पुरुष और महिला कर्मचारियों के वेतन में अंतर एक प्रकार की संरचनात्मक हिंसा है। महिलाओं की क्षमता को कम आंकना या उनके श्रम का अवमूल्यन करना उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाता है, जो परोक्ष मानसिक हिंसा है।

4. **मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न (Gaslighting):** महिला कर्मचारियों की योग्यता पर लगातार संदेह करना, छोटी-छोटी गलतियों पर कठोर आलोचना करना, या उन्हें महत्वपूर्ण निर्णयों से दूर रखना निरंतर मानसिक उत्पीड़न के रूप हैं। इससे उनका आत्मविश्वास धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है।

5. **पारिवारिक और सामाजिक भूमिकाओं का दबाव:** मातृत्व अवकाश या पारिवारिक कारणों से छुट्टी लेने पर महिलाओं को अक्सर तानों या भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसे "मदरहुड

पेनल्टी" कहा जाता है, जो कार्यस्थल पर महिलाओं की स्थिति पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव डालता है।

6. **शिकायत प्रणाली का अभाव:** कई संस्थानों में आंतरिक शिकायत समितियाँ (ICC) सक्रिय नहीं होतीं। परिणामस्वरूप, शिकायतों का समाधान नहीं होता या शिकायतकर्ता को ही और अधिक परेशान किया जाता है, जिससे हिंसा का यह चक्र जारी रहता है।

निष्कर्ष: अंततः कहा जा सकता है कि जब कार्यस्थल लैंगिक संवेदनशीलता में विफल होते हैं, तो वे केवल काम करने की जगह न रहकर हिंसा को बढ़ावा देने वाली संस्था बन जाते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए कानूनी जागरूकता (जैसे POSH कानून), जेंडर ऑडिटिंग और कार्यस्थल को समावेशी बनाना अत्यंत आवश्यक है। तभी कार्यस्थल हिंसा-मुक्त होकर वास्तविक सशक्तिकरण का माध्यम बन सकते हैं।

3. Describe briefly the problems of women empowerment in India. ভারতে নারী ক্ষমতায়নের সমস্যাগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করুন। भारत में महिला सशक्तिकरण की समस्याओं का संक्षेप में वर्णन करें। **2018, 2020, 2021, 2023**

Ans: **भूमिका:** महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाना और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र—सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक—में निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना। भारत के संविधान में स्त्री-पुरुष समानता का उल्लेख है, फिर भी वास्तविकता में भारतीय महिलाएँ सशक्तिकरण के मार्ग में अनेक बाधाओं का सामना करती हैं। विशेष रूप से पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था और कुरीतियाँ इस प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं।

महिला सशक्तिकरण की प्रमुख समस्याएँ: भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में प्रमुख बाधाएँ निम्नलिखित हैं-

1. **पितृसत्तात्मक मानसिकता:** भारतीय समाज की जड़ें पितृसत्ता में निहित हैं, जहाँ परिवार और समाज में पुरुष को मुख्य निर्णयकर्ता माना जाता है। यह पुरुष प्रधानता महिलाओं के स्वतंत्र विचार और विकास में बाधा बनती है।

2. **शिक्षा का अभावः** महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, फिर भी ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर चिंताजनक है। उच्च शिक्षा की कमी महिलाओं की जागरूकता और आत्मनिर्भरता में बाधा डालती है।

3. **आर्थिक निर्भरताः** अधिकांश महिलाएँ आज भी आर्थिक रूप से अपने पिता या पति पर निर्भर हैं। संपत्ति के अधिकार में असमानता और श्रम बाजार में वेतन असमानता महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने से रोकती है।

4. **सामाजिक कुरीतियाँ और परंपराएँः** बाल विवाह, दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयाँ आज भी समाज में मौजूद हैं। ये कुरीतियाँ महिलाओं को बचपन से ही हाशिए पर रखती हैं।

5. **असुरक्षा और हिंसाः** घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और कार्यस्थल पर उत्पीड़न का डर महिलाओं को घर से बाहर निकलने में बाधा डालता है। सुरक्षा की कमी उनके रचनात्मकता और कार्यक्षमता को प्रभावित करती है।

6. **राजनीतिक भागीदारी की कमीः** पंचायत स्तर पर आरक्षण होने के बावजूद उच्च राजनीति और नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी कम है। कई बार महिला प्रतिनिधि होने के बावजूद वास्तविक शक्ति पुरुष रिश्तेदारों के पास रहती है (प्रधान-पति प्रथा)।

7. **स्वास्थ्य और पोषण की उपेक्षाः** लैंगिक भेदभाव के कारण परिवार में लड़कियों के स्वास्थ्य और पोषण पर कम ध्यान दिया जाता है। कुपोषण और एनीमिया महिलाओं की शारीरिक क्षमता को कमजोर कर देते हैं, जो सशक्तिकरण में बाधा बनते हैं।

उपसंहारः अंततः कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं के व्यक्तिगत विकास का विषय नहीं है, बल्कि देश के समग्र विकास की कुंजी है। केवल कानून बनाकर इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इसके लिए सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, लैंगिक समानता आधारित शिक्षा और महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण आवश्यक है। बी.एड पाठ्यक्रम के संदर्भ में भावी शिक्षकों का दायित्व है कि वे कक्षा में लैंगिक जागरूकता बढ़ाएँ, ताकि आने वाली पीढ़ी एक समानतामूलक समाज का निर्माण कर सके।

www.dascoaching.in

4. Discuss briefly different aspects of gender discrimination in text book (in School Curriculum). পাঠ্যপুস্তকে (বিদ্যালয় পাঠক্রমে) লিঙ্গ বৈষম্যের বিভিন্ন দিকগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। पाठ्यपुस्तक (विद्यालय पाठ्यक्रम) में लिंग भेदभाव के विभिन्न पहलुओं पर संक्षेप में चर्चा करें। **2018, 2023, 2025**

Ans: <u>भूमिका:</u> शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यपुस्तक ज्ञान प्राप्ति का मुख्य माध्यम है। लेकिन दुर्भाग्यवश, पाठ्यपुस्तकों की सामग्री, चित्रों और भाषा में अक्सर लैंगिक पक्षपात (Gender Bias) दिखाई देता है। इससे छात्रों के मन में स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं के बारे में एक संकीर्ण धारणा विकसित होती है, जो सामाजिक समानता के विरुद्ध है।

<u>लैंगिक पक्षपात के प्रमुख पहलू</u>: पाठ्यपुस्तकों में लैंगिक पक्षपात मुख्यतः निम्नलिखित रूपों में प्रकट होता है-

1. **चरित्र प्रस्तुति और प्रभुत्व:** अधिकांश पाठ्यपुस्तकों में उदाहरण या कहानियों के मुख्य पात्र के रूप में पुरुषों का प्रभुत्व देखा जाता है। ऐतिहासिक घटनाओं या वैज्ञानिक खोजों के वर्णन में महिलाओं की तुलना में पुरुषों के नाम अधिक होते हैं। इससे छात्रों में यह धारणा बनती है कि सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका नगण्य है।

2. **रूढ़िगत भूमिकाएँ (Stereotypical Roles):** पाठ्यपुस्तकों की कहानियों या उदाहरणों में महिलाओं को प्रायः घरेलू कार्यों (जैसे खाना बनाना, बच्चों की देखभाल) में और पुरुषों को बाहरी कार्यों (जैसे कार्यालय जाना, साहसिक कार्य करना) में दिखाया जाता है। महिलाओं को अक्सर निर्भर, कोमल और सेवा करने वाली के रूप में तथा पुरुषों को आत्मनिर्भर, साहसी और निर्णय लेने वाले के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

3. **व्यावसायिक पक्षपात:** पेशों के वर्णन में भी पक्षपात दिखाई देता है। शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर या अंतरिक्ष यात्री के रूप में सामान्यतः पुरुषों को दिखाया जाता है। दूसरी ओर, महिलाओं को केवल नर्स या प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे छात्रों के भविष्य के करियर चयन में मानसिक सीमाएँ उत्पन्न होती हैं।

www.dascoaching.in

4. **भाषाई पक्षपात:** पाठ्यपुस्तकों की भाषा में भी लैंगिक पक्षपात स्पष्ट होता है। जैसे "Man" शब्द का प्रयोग पूरे मानव जाति के लिए करना। "Chairman", "Foreman" या "Businessman" जैसे शब्द यह संकेत देते हैं कि ये पद केवल पुरुषों के लिए हैं।

5. **चित्रण और दृश्य प्रस्तुति:** पुस्तकों के चित्रों में भी पक्षपात होता है। खेल या विज्ञान प्रयोगशाला से संबंधित चित्रों में लड़कों को सक्रिय और लड़कियों को दर्शक या सहायक के रूप में दिखाया जाता है। साहसिक और महत्वपूर्ण कार्यों में लड़कियों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम होती है।

निष्कर्ष: पाठ्यपुस्तकों से लैंगिक पक्षपात को समाप्त करना अत्यंत आवश्यक है। लैंगिक-निरपेक्ष भाषा का उपयोग, महिलाओं की वीरता और उपलब्धियों की कहानियों को शामिल करना तथा रूढ़िगत सोच से बाहर निकलकर दोनों लिंगों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना आवश्यक है। NCERT और BSAEU द्वारा निर्देशित पाठ्यक्रम में वर्तमान में सुधार कार्य चल रहे हैं, लेकिन व्यापक सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षकों और छात्रों में जागरूकता बढ़ाना भी आवश्यक है।

5. Describe briefly the major causes of gender discrimination. লিঙ্গ বৈষম্যের মুখ্য কারণগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করুন। लिंग भेदभाव के प्रमुख कारणों का संक्षेप में वर्णन करें। **2018, 2020, 2022**

Ans: भूमिका: लिंग भेदभाव एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें स्त्री और पुरुष को समान अधिकार, अवसर और सम्मान से वंचित किया जाता है। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में लिंग असमानता स्पष्ट रूप से मौजूद रही है। आधुनिक समय में महिलाओं की शिक्षा का विस्तार हुआ है, फिर भी मनोवैज्ञानिक और संरचनात्मक कारणों से यह भेदभाव आज भी बना हुआ है।

लिंग भेदभाव के कारण: लिंग भेदभाव के पीछे कई सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारण सक्रिय हैं। इन्हें नीचे समझाया गया है-

1. **पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था:** हमारा समाज मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक है। इसमें पुरुष को परिवार का प्रमुख माना जाता है और निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। यह प्रभुत्ववादी मानसिकता महिलाओं को पुरुषों के अधीन मानती है, जो भेदभाव का मुख्य कारण है।

2. **सामाजीकरण प्रक्रिया (Socialization):** परिवार और समाज बचपन से ही लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग भूमिकाएँ तय कर देते हैं। जैसे— लड़कियों को घरेलू काम और लड़कों को बाहरी दुनिया से जोड़ा जाता है। इससे बच्चों के मन में जेंडर स्टिरियोटाइप बनते हैं।

3. **अंधविश्वास और धार्मिक प्रभावः** धार्मिक मान्यताओं की गलत व्याख्या और अंधविश्वास लिंग भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। पुत्र से वंश चलने की धारणा के कारण कन्या भ्रूण हत्या या लड़कियों की उपेक्षा जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

4. **शिक्षा का अभावः** शिक्षा की कमी लिंग भेदभाव का एक प्रमुख कारण है। आज भी कई ग्रामीण या पिछड़े परिवारों में लड़कियों की शिक्षा की तुलना में घरेलू कार्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। अशिक्षा के कारण महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पातीं।

5. **आर्थिक निर्भरताः** संपत्ति के अधिकारों में असमानता और कार्यस्थल पर महिलाओं को कम वेतन मिलने के कारण वे पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर रहती हैं। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में उन्हें पारिवारिक और सामाजिक निर्णयों में महत्व नहीं मिलता।

6. **दहेज प्रथा और सामाजिक सुरक्षाः** दहेज प्रथा के कारण कई परिवारों में बेटियों को बोझ माना जाता है। साथ ही, सामाजिक सुरक्षा की कमी और उत्पीड़न के डर से लड़कियों को बाहर जाने या उच्च शिक्षा प्राप्त करने से रोका जाता है।

उपसंहारः अंत में कहा जा सकता है कि लिंग भेदभाव केवल महिलाओं या पुरुषों की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक समस्या है। इसे समाप्त करने के लिए दृष्टिकोण में बदलाव, महिलाओं की शिक्षा का विस्तार और कानूनों का सही क्रियान्वयन आवश्यक है। बी.एड. के विद्यार्थियों के रूप में हमारा दायित्व है कि हम कक्षा और समाज में लिंग-निरपेक्ष वातावरण बनाएँ, ताकि आने वाली पीढ़ी एक समानता पर आधारित समाज का निर्माण कर सके।

www.dascoaching.in

6. Discuss the effects of Gender bias in Society and Family. পরিবার ও সমাজে লিঙ্গ পক্ষপাতের প্রভাবগুলি আলোচনা করুন। परिवार और समाज में लिंग पूर्वाग्रह के प्रभावों पर चर्चा करें। **2019, 2021**

Ans: <u>परिचय (Introduction):</u> लिंग पक्षपात (Gender Bias) का अर्थ है लिंग के आधार पर लोगों के प्रति असमान व्यवहार या भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण। हमारे पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री और पुरुष को समान रूप से नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें निश्चित सामाजिक भूमिकाओं में बाँधकर आँका जाता है। परिवार इस भेदभाव का मूल स्थान है, जिसका प्रभाव आगे चलकर पूरे समाज में दिखाई देता है।

<u>परिवार पर प्रभाव:</u> परिवार बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा का स्थान होता है। यहाँ लिंग पक्षपात का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है-

1) **शिक्षा में असमानता:** आज भी कई परिवारों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की उच्च या तकनीकी शिक्षा को कम महत्व दिया जाता है। लड़कियों की पढ़ाई को गौण या विवाह की तैयारी के रूप में देखा जाता है।

2) **पोषण और स्वास्थ्य:** ग्रामीण या पारंपरिक परिवारों में अक्सर पुत्र को पुत्री की तुलना में अधिक पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएँ दी जाती हैं, जिससे लड़कियों के शारीरिक विकास में बाधा आती है।

3) **कार्य विभाजन:** बचपन से ही लड़कियों को घर के काम और लड़कों को बाहर के कार्यों के लिए तैयार किया जाता है। यह लिंग आधारित श्रम विभाजन लड़कियों के आत्मविश्वास को प्रभावित करता है।

4) **निर्णय लेने की कमी:** परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में लड़कियों की राय को कम महत्व दिया जाता है, जिससे वे दूसरों पर निर्भर हो जाती हैं।

<u>समाज पर प्रभाव</u>: जब यह भेदभाव समाज में फैलता है, तो इसके दूरगामी परिणाम होते हैं-

1. **व्यावसायिक असमानता:** लिंग पक्षपात के कारण महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता। उच्च पदों पर महिलाओं की नियुक्ति में भी हिचकिचाहट देखी जाती है (Glass Ceiling Effect)।

2. **सामाजिक असुरक्षा:** लिंग भेदभाव समाज में असंतुलन पैदा करता है, जिससे छेड़छाड़, उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसी घटनाएँ बढ़ती हैं।

3. **आर्थिक मंदी:** देश की आधी आबादी महिलाएँ हैं। यदि वे आर्थिक गतिविधियों से दूर रहती हैं, तो राष्ट्रीय GDP और विकास बाधित होता है।

4. **नेतृत्व की कमी:** सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी कम हो जाती है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया पुरुष प्रधान हो जाती है।

निष्कर्ष (Conclusion): अंत में कहा जा सकता है कि लिंग पक्षपात केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक समस्या है। यह स्वस्थ समाज के निर्माण में एक बड़ी बाधा है। बी.एड पाठ्यक्रम में इस विषय को शामिल करने का उद्देश्य भावी शिक्षकों में लिंग जागरूकता विकसित करना है। शिक्षा, जागरूकता और सोच में बदलाव के माध्यम से इस कुप्रथा को समाप्त किया जा सकता है, ताकि हर व्यक्ति को लिंग से परे अपनी पूर्ण क्षमता विकसित करने का अवसर मिल सके।

7. Discuss the contributions of Raja Rammohan Roy about women education and social reforms. নারীশিক্ষা ও সমাজসংস্কারে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা লিখুন। राजा राममोहन राय का महिला शिक्षा और सामाजिक सुधारों में योगदान पर चर्चा करें। **2019, 2021**

Or, briefly describe the contribution of Raja Rammohan Roy as a reformer. সমাজ সংস্কারক হিসেবে রাজা রামমোহন রায়ের অবদানের সংক্ষেপে বর্ণনা দাও। एक सुधारक के रूप में राजा राममोहन राय के योगदान का संक्षिप्त वर्णन करें। **2025**

Ans: भूमिका: राजा राममोहन राय आधुनिक भारत के निर्माता और नवजागरण के अग्रदूत थे। उस समय जब भारतीय समाज मध्यकालीन अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता में डूबा हुआ था, उन्होंने समाज को तर्कवाद और आधुनिकता की ओर अग्रसर करने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। विशेष रूप से लैंगिक असमानता को दूर करने और महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा स्थापित करने में वे एक निडर योद्धा थे।

समाज सुधार में योगदान: उनके समाज सुधार का मुख्य उद्देश्य अमानवीय प्रथाओं का उन्मूलन था-

1. **सती प्रथा का उन्मूलनः** उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से विनियमन XVII पारित कराकर सती प्रथा को समाप्त करना था। उन्होंने यह सिद्ध किया कि किसी भी शास्त्र में सती को अनिवार्य नहीं बताया गया है।

2. **धार्मिक सुधारः** उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद के प्रचार के लिए 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की (जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ)। वे उपनिषदों की शिक्षाओं के आधार पर समाज को शुद्ध करना चाहते थे।

3. **अन्य कुप्रथाएँः** उन्होंने बहुविवाह, बाल विवाह और जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। साथ ही, उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में जनमत तैयार करना शुरू किया।

<u>महिला शिक्षा में योगदान</u>: उनका मानना था कि उचित शिक्षा के बिना महिलाओं की मुक्ति और समाज परिवर्तन संभव नहीं है-

1. **मानसिक विकासः** वे मानते थे कि महिलाएँ पुरुषों से कम बुद्धिमान नहीं हैं, बल्कि अवसरों के अभाव में पीछे रह जाती हैं। इसलिए उन्होंने महिलाओं के शिक्षा के अधिकार का समर्थन किया।

2. **मौलिक अधिकारः** उन्होंने शास्त्रीय व्याख्या के माध्यम से यह बताया कि महिलाओं को संपत्ति में कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता से महिला शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा।

3. **शिक्षा का प्रसारः** यद्यपि उन्हें लड़कियों के लिए अलग विद्यालय स्थापित करने के सीमित अवसर मिले, फिर भी उनके द्वारा स्थापित संस्थानों में आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा का जो वातावरण बना, उसने आगे चलकर बेथ्यून और विद्यासागर के महिला शिक्षा आंदोलन की नींव रखी।

उपसंहार: अंततः, राजा राममोहन राय केवल एक समाज सुधारक ही नहीं, बल्कि एक मानवतावादी दार्शनिक भी थे। महिला शिक्षा की आवश्यकता और सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में उनके प्रयासों ने आधुनिक भारत में महिला जागरण को पूर्णता प्रदान की। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही बंगाल का नवजागरण सफल हुआ।

8. Describe briefly the process of women's empowerment. নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। **2019, 2020, 2022**

Ans: भूमिका: महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से महिलाएँ अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करती हैं और समाज की मुख्यधारा में समान अधिकारों के साथ भाग ले सकती हैं। यह केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर महिलाओं की क्षमता को बढ़ाने वाला एक समग्र परिवर्तन है।

<u>महिला सशक्तिकरण की प्रमुख प्रक्रियाएँ:</u> महिला सशक्तिकरण कई चरणों के माध्यम से पूरा होता है। इसके मुख्य पहलुओं का विवरण निम्नलिखित है-

1. जागरूकता का विकास (Awareness Building): सशक्तिकरण का पहला चरण है अपने अधिकारों, संभावनाओं और सामाजिक स्थिति के प्रति जागरूक होना। जब कोई महिला अपने ऊपर होने वाले भेदभाव को समझती है, तभी वह परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकती है।

2. शैक्षिक सशक्तिकरण (Educational Empowerment): शिक्षा सशक्तिकरण की रीढ़ है। शिक्षा के माध्यम से महिलाएँ ज्ञान प्राप्त करती हैं, तार्किक सोच विकसित करती हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ाती हैं। यह उन्हें अंधविश्वास से मुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ बोलने में मदद करता है।

3. आर्थिक आत्मनिर्भरता (Economic Self-reliance): संपत्ति के अधिकार और आय के स्रोतों पर नियंत्रण महिला सशक्तिकरण की प्रमुख कुंजी है। स्वयं सहायता समूह (SHG) या विभिन्न व्यवसायों के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर महिलाएँ परिवार के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

4. राजनीतिक भागीदारी (Political Participation): पंचायत से लेकर संसद तक प्रशासन के हर स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। नीतिनिर्माण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होने पर उनके अधिकारों को कानूनी मान्यता मिलती है।

5. निर्णय लेने की क्षमता (Decision-making Power): परिवार से लेकर समाज तक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक प्रमुख संकेत है। अपने शरीर, विवाह, संतान और करियर के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता वास्तविक सशक्तिकरण को दर्शाती है।

www.dascoaching.in

6. लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन (Removal of Gender Bias): पितृसत्तात्मक सोच को बदलकर समाज में लैंगिक समानता स्थापित करना इस प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। महिलाओं को केवल 'उपभोग की वस्तु' या 'सेविका' न मानकर एक 'मानव' के रूप में सम्मान देना ही सशक्तिकरण का लक्ष्य है।

निष्कर्ष: अंत में कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण कोई एकल घटना नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालिक सामाजिक विकास प्रक्रिया है। जब महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, तब वे अपनी प्रतिभा और क्षमता का पूर्ण विकास कर सकती हैं। समाज के समग्र विकास के लिए महिला सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है।

9. Mention about the laws for preventing and redressing of sexual harassment. যৌন নির্যাতনের প্রতিরোধ ও প্রতিকারে আইনের নির্দেশিকা উল্লেখ করুন। यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण हेतु कानूनों का उल्लेख करें। **2019, 2021**

Ans: प्रस्तावना: समाज और शिक्षा के क्षेत्र में स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कठोर कानून आवश्यक हैं। विशेष रूप से कार्यस्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार समय-समय पर विभिन्न कानून और दिशानिर्देश लागू करती रही है। जेंडर स्टडीज़ के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए इन कानूनों के बारे में जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है।

यौन उत्पीड़न के विरुद्ध प्रमुख कानून एवं दिशानिर्देश: यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण के संबंध में भारत के संविधान तथा कुछ विशिष्ट कानूनों में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं-

1. विशाखा दिशानिर्देश (1997): 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह ऐतिहासिक दिशानिर्देश जारी किया। इसके मुख्य बिंदु हैं-

- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की परिभाषा निर्धारित करना।
- प्रत्येक संस्था में 'शिकायत समिति' का गठन अनिवार्य करना।

2. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act): यह कानून विशाखा दिशानिर्देशों पर आधारित है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं-

- **आंतरिक शिकायत समिति (ICC):** 10 या अधिक कर्मचारियों वाली सभी संस्थाओं में इसका गठन आवश्यक है।
- **शिकायत प्रक्रिया:** पीड़ित महिला घटना के 3 माह के भीतर लिखित शिकायत दर्ज कर सकती है।
- **गोपनीयता:** शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखना अनिवार्य है।

3. बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (POCSO Act, 2012): विद्यालय स्तर पर बच्चों की सुरक्षा के लिए यह कानून अत्यंत महत्वपूर्ण है-

1. 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों में न्याय सुनिश्चित करता है।
2. यदि अपराध स्कूल प्राधिकरण या शिक्षक द्वारा किया गया हो, तो कठोर दंड का प्रावधान है।

4. भारतीय दंड संहिता (IPC): 2013 के आपराधिक कानून संशोधन के माध्यम से यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधान जोड़े गए-

1. धारा 354A: यौन उत्पीड़न के लिए दंड।
2. धारा 354C: वॉययूरिज़्म (बिना अनुमति फोटो लेना)।
3. धारा 354D: पीछा करना (स्टॉकिंग)।

<u>निवारण की प्रक्रिया (Redressal Mechanism):</u> कानूनी उपाय प्राप्त करने के लिए मुख्यतः तीन चरण अपनाए जाते हैं-

1. **शिकायत दर्ज करना:** संस्था की ICC में या निकटतम पुलिस थाने में FIR दर्ज करना।
2. **जांच:** शिकायत मिलने के बाद समिति या पुलिस निर्धारित समय के भीतर निष्पक्ष जांच करेगी।
3. **दंडात्मक कार्रवाई:** अपराध सिद्ध होने पर जुर्माना, नौकरी से बर्खास्तगी या कारावास जैसी सजा दी जाती है।

उपसंहार: अंततः यह कहा जा सकता है कि कानून होने के बावजूद केवल कानूनी उपायों से समाज से यौन उत्पीड़न को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए सामाजिक मानसिकता में बदलाव और व्यापक

जन-जागरूकता आवश्यक है। शैक्षणिक संस्थानों में जेंडर समानता की शिक्षा तथा इन सुरक्षा कानूनों का सही प्रचार-प्रसार छात्रों और शिक्षकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित कर सकता है।

10. Discuss the role of Teacher to change the society. সমাজ পরিবর্তনে শিক্ষকের ভূমিকা আলোচনা করুন। समाज में परिवर्तन लाने में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा करें। **2019, 2020, 2022**

Ans: भूमिका: समाज एक गतिशील इकाई है, और इस गति की प्रमुख शक्ति शिक्षा है। शिक्षा ही एक प्रगतिशील, अंधविश्वास-मुक्त और समतावादी समाज का निर्माण कर सकती है। इस शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य शिल्पकार शिक्षक होते हैं। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, *"शिक्षक राष्ट्र की रीढ़ होते हैं।"* विशेष रूप से लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने और सामाजिक न्याय स्थापित करने में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

<u>सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की प्रमुख भूमिका:</u> सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं-

1. **आदर्श मार्गदर्शक (Role Model):** शिक्षक अपने व्यवहार से कक्षा और समाज में आदर्श स्थापित करते हैं। जब वे लड़कों और लड़कियों को समान सम्मान देते हैं, तो छात्र भी समानतामूलक समाज बनाने के लिए प्रेरित होते हैं।

2. **अंधविश्वास का उन्मूलन:** भारतीय समाज में मौजूद लैंगिक अंधविश्वास, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने में शिक्षक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। वे छात्रों को तर्क के आधार पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं।

3. **लैंगिक संवेदनशीलता (Gender Sensitization):** कोर्स 1.4.6 के संदर्भ में, शिक्षक का एक प्रमुख कार्य लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव को समाप्त करना है। यदि पाठ्यपुस्तकों या पाठ्यक्रम में कोई लैंगिक पक्षपात हो, तो वे उसे सुधारकर समानता की भावना विकसित करते हैं।

4. **लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास:** समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता सामाजिक परिवर्तन की आधारशिला हैं। शिक्षक इन मूल्यों को छात्रों में विकसित करते हैं, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव होता है।

5. **सामाजिक सुधारक:** शिक्षक केवल विद्यालय तक सीमित नहीं होते। वे अभिभावक बैठकों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में परिवर्तन का संदेश फैलाते हैं।

6. **छात्रों की छिपी प्रतिभा का विकास:** शिक्षक प्रत्येक बच्चे की क्षमता को पहचानते हैं और उसे विकसित करने में मदद करते हैं। जब महिलाएँ और पिछड़े वर्ग शिक्षित और आत्मनिर्भर बनते हैं, तो समाज में सकारात्मक बदलाव आता है।

निष्कर्ष: अंत में कहा जा सकता है कि शिक्षक सामाजिक परिवर्तन के एक शक्तिशाली उत्प्रेरक या *"सामाजिक परिवर्तन के एजेंट"* हैं। उनका दृष्टिकोण, निष्पक्षता और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार एक आधुनिक और भेदभाव रहित समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। यदि शिक्षक जागरूक हों, तो लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है और एक बेहतर भविष्य का निर्माण संभव है। BSAEU पाठ्यक्रम के अनुसार, लैंगिकता और समाज के समन्वय में शिक्षकों की सक्रिय भूमिका ही सामाजिक परिवर्तन की कुंजी है।

11. Discuss the contributions of Ishwar Chandra Vidyasagar on women education and social reforms. নারীশিক্ষা ও সমাজসংস্কারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা লিখুন। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का महिला शिक्षा और सामाजिक सुधारों में योगदान पर चर्चा करें। **2022**

Ans: भूमिका: उन्नीसवीं शताब्दी में जब बंगाल का समाज अंधविश्वास और नारी उत्पीड़न के अंधकार में डूबा हुआ था, तब Ishwar Chandra Vidyasagar आशा की किरण बनकर प्रकट हुए। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा के प्रसार और कुरीतियों के उन्मूलन के बिना समाज का वास्तविक विकास संभव नहीं है। उनकी मानवता और अडिग संघर्ष ने उन्हें "करुणासागर" और "विद्यासागर" के रूप में अमर बना दिया।

नारी शिक्षा में योगदान: विध्यासागर का विश्वास था कि नारी जाति की मुक्ति केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। उनके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं-

1. **बेथ्यून स्कूल की स्थापना:** John Elliot Drinkwater Bethune के साथ मिलकर उन्होंने 1849 में 'हिंदू फीमेल स्कूल' (वर्तमान Bethune School) की स्थापना की। वे इसके सचिव के रूप में कार्यरत थे।

2. **बालिका विद्यालयों की स्थापना:** सरकारी निरीक्षक के रूप में कार्य करते समय उन्होंने मिदनापुर, बर्धमान, हुगली और नदिया जिलों में लगभग 35 बालिका विद्यालय स्थापित किए।

3. **नारी शिक्षा भंडार:** जब सरकारी सहायता मिलने में देर हुई, तो उन्होंने स्वयं के धन से विद्यालयों का खर्च चलाया और 'नारी शिक्षा भंडार' नामक कोष बनाया।

4. **सामाजिक जागरूकता:** उन्होंने अभिभावकों को अपनी बेटियों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया, जिससे समाज की रूढ़िवादी सोच में परिवर्तन आने लगा।

समाज सुधार में योगदान: समाज सुधार के क्षेत्र में विध्यासागर एक निर्भीक योद्धा थे। उनके प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं-

1. **विधवा विवाह की वैधता:** उनका सबसे बड़ा योगदान विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिलाना था। उन्होंने हिंदू शास्त्रों से प्रमाण देकर यह सिद्ध किया कि विधवा विवाह शास्त्रसम्मत है। उनके अथक प्रयासों से 26 जुलाई 1856 को Hindu Widows' Remarriage Act पारित हुआ।

2. **बहुविवाह का विरोध:** उन्होंने हिंदू समाज में प्रचलित बहुविवाह और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध जोरदार आंदोलन किया और सरकार को कई याचिकाएँ प्रस्तुत कीं।

3. **मानवीय सुधार:** सामाजिक परंपराओं से ऊपर उठकर उन्होंने मानव सेवा को अपना धर्म माना और जाति-भेद के बिना सभी की सहायता की।

उपसंहार: अंत में कहा जा सकता है कि विध्यासागर केवल एक विद्वान या शिक्षक ही नहीं थे, बल्कि आधुनिक भारत के एक महान स्वप्नदृष्टा भी थे। उनके प्रयासों से बंगाली महिलाएँ घर की चारदीवारी से निकलकर शिक्षा के प्रकाश में आईं। सामाजिक बाधाओं के बावजूद उनके द्वारा शुरू किए गए सुधार आंदोलन आज भी लैंगिक समानता और नारीवादी चेतना के विकास में मार्गदर्शक हैं।

12. Discuss the role of media as an agency of perpetuating sexual violence. ধারাবাহিক যৌন হিংস্রতার একটি সংস্থা হিসাবে প্রচারমাধ্যমগুলির ভূমিকা আলোচনা করুন। यौन हिंसा को बढ़ावा देने वाली संस्था के रूप में मीडिया की भूमिका पर चर्चा करें। **2023**

Ans: भूमिका: वर्तमान युग में जनसंचार माध्यम (समाचार पत्र, टेलीविजन, सोशल मीडिया और फिल्में) हमारे विचारों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। दुर्भाग्यवश, कई बार ये माध्यम स्वस्थ समाज के निर्माण के बजाय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यौन हिंसा को बढ़ावा देते हैं या उकसाते हैं।

यौन हिंसा की वृद्धि में मीडिया की नकारात्मक भूमिका:

1. **महिलाओं का वस्तुकरण (Objectification of Women):** विज्ञापनों से लेकर फिल्मों तक, महिलाओं को अक्सर उपभोग की वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। महिला शरीर पर आधारित आकर्षक प्रस्तुति यह धारणा बनाती है कि महिलाएं केवल पुरुषों के भोग की वस्तु हैं। यही मानसिकता यौन हिंसा की जड़ में होती है।
2. **हिंसा का महिमामंडन:** कई फिल्मों और वेब सीरीज़ में बलात्कार या यौन उत्पीड़न को वीरता या पुरुषत्व के प्रदर्शन के रूप में दिखाया जाता है। नायक या खलनायक का आक्रामक व्यवहार किशोरों और युवाओं को गलत दिशा में ले जाता है।
3. **पीड़िता को दोष देना (Victim Blaming):** समाचार माध्यम कई बार यौन हिंसा की शिकार महिला के पहनावे, आचरण या चरित्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपराधी पर ध्यान देने के बजाय पीड़िता को दोषी ठहराना अपराधियों को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देता है।
4. **अश्लीलता और पोर्नोग्राफी का प्रभाव:** इंटरनेट की आसान उपलब्धता के कारण सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर पोर्नोग्राफी का प्रसार बढ़ गया है। यह विकृत यौन इच्छाओं को जन्म देता है और वास्तविक जीवन में यौन अपराधों जैसे छेड़छाड़ और बलात्कार को बढ़ावा देता है।
5. **संवेदनशीलता की कमी:** टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडिया कई बार यौन हिंसा की घटनाओं को सनसनीखेज और अशोभनीय तरीके से प्रस्तुत करता है। इससे घटना की गंभीरता कम हो जाती है और लोगों में जागरूकता के बजाय विकृत जिज्ञासा उत्पन्न होती है।
6. **लैंगिक रूढ़िवादिता (Gender Stereotypes):** मीडिया अक्सर पुरुषों को 'आक्रामक' और महिलाओं को 'नम्र' के रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार की लैंगिक असमानता पुरुषों में प्रभुत्व की प्रवृत्ति को बढ़ाती है, जो यौन हिंसा का एक कारण है।

निष्कर्ष: अंततः कहा जा सकता है कि मीडिया समाज परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम हो सकता है, लेकिन गैर-जिम्मेदाराना उपयोग के कारण यह यौन हिंसा को बढ़ावा देने वाला कारक भी बन सकता है। इसलिए बी.एड पाठ्यक्रम के संदर्भ में भावी शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे विद्यार्थियों में मीडिया सामग्री का समालोचनात्मक विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करें और लैंगिक समानता की शिक्षा दें। मीडिया को चाहिए कि वह व्यावसायिक हितों से ऊपर उठकर नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ समाचार और मनोरंजन प्रस्तुत करे।

www.dascoaching.in

13. Compare between the concepts of transgender and third gender. রূপান্তরিত লিঙ্গ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ধারণাসমূহের মধ্যে তুলনা করুন। ट्रांसजेंडर और तीसरे लिंग की अवधारणाओं के बीच तुलना करें। **2023**

Ans: भूमिका: समाजशास्त्र में "ट्रांसजेंडर" और "तृतीय लिंग" शब्दों का अक्सर समानार्थक रूप से प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनके बीच सूक्ष्म एवं मूलभूत अंतर मौजूद है। ये अवधारणाएँ मुख्यतः जेंडर आइडेंटिटी (लिंग पहचान) और सामाजिक मान्यता पर आधारित हैं।

<u>मुख्य अंतर:</u>

तुलना का आधार	ट्रांसजेंडर	तृतीय लिंग
परिभाषा	जब जन्मजात लिंग और मानसिक लिंग पहचान में असमानता होती है, उसे ट्रांसजेंडर कहते हैं।	जो लोग पुरुष या महिला की द्वैध पहचान से बाहर स्वयं को एक स्वतंत्र लिंग के रूप में पहचानते हैं।
आधार	मुख्यतः मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत पहचान।	मुख्यतः सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान।
दायरा	एक व्यापक शब्द, जिसमें ट्रांस-मैन, ट्रांस-वुमन आदि शामिल हैं।	विशेष समूहों को दर्शाता है (जैसे भारत के हिजड़ा या अरब के खानसा समुदाय)।
शल्य प्रक्रिया	कुछ लोग हार्मोन थेरेपी या सर्जरी द्वारा लिंग परिवर्तन करते हैं।	यहाँ सामाजिक और सामुदायिक पहचान अधिक महत्वपूर्ण है।
कानूनी मान्यता	व्यक्ति के आत्म-पहचान के अधिकार से जुड़ा है।	भारत में NALSA निर्णय द्वारा कानूनी मान्यता दी गई है।

www.dascoaching.in

विस्तृत चर्चा:

1. पहचान का अंतर: ट्रांसजेंडर उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो महसूस करते हैं कि उनका जन्मजात शरीर उनकी मानसिक पहचान से मेल नहीं खाता। उदाहरण के लिए, पुरुष के रूप में जन्म लेने वाला व्यक्ति स्वयं को महिला मान सकता है (ट्रांस-वुमन)। वहीं तृतीय लिंग एक स्वतंत्र श्रेणी है, जो पुरुष या महिला दोनों से अलग है।

2. सामाजिक संदर्भ: "तृतीय लिंग" की अवधारणा दक्षिण एशियाई संस्कृति से गहराई से जुड़ी है। भारत में हिजड़ा समुदाय को ऐतिहासिक रूप से तृतीय लिंग के रूप में मान्यता मिली है। दूसरी ओर, "ट्रांसजेंडर" एक वैश्विक शब्द है, जो आधुनिक चिकित्सा और मनोविज्ञान पर आधारित है।

3. विद्यालय और समाज: B.Ed पाठ्यक्रम के अनुसार, शिक्षक को यह समझना चाहिए कि ट्रांसजेंडर विद्यार्थी अक्सर लिंग परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं तृतीय लिंग के लोग अधिक सामाजिक भेदभाव और हाशियाकरण का सामना करते हैं।

उपसंहार: अंततः कहा जा सकता है कि ट्रांसजेंडर लिंग पहचान का एक व्यक्तिगत विकास है, जबकि तृतीय लिंग लिंग द्वैत से परे एक सामाजिक स्थिति है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इन दोनों वर्गों के प्रति संवेदनशील होना और उन्हें समावेशी शिक्षा की मुख्यधारा में लाना अत्यंत आवश्यक है। समानता और न्याय पर आधारित समाज ही इनकी उचित मान्यता सुनिश्चित कर सकता है।

14. Briefly discuss the paradigm shift from women studies to gender studies. নারীচর্চা থেকে লিঙ্গচর্চার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সংক্ষেপে আলোচনা করুন। नारी अध्ययन से लिंग अध्ययन की दिशा में परिवर्तन पर संक्षेप में चर्चा करें। **2024**

Ans: भूमिका: बीसवीं शताब्दी के मध्य से महिलाओं और पुरुषों की सामाजिक स्थिति पर शोध के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया। प्रारंभ में इस अध्ययन को *महिला अध्ययन (Women's Studies)* कहा जाता था। लेकिन 1990 के दशक से यह *लैंगिक अध्ययन (Gender Studies)* के रूप में विकसित हुआ और एक नई दिशा प्राप्त की। यह परिवर्तन केवल नाम का नहीं, बल्कि एक गहरे सैद्धांतिक और दृष्टिकोणगत विकास का संकेत है।

दृष्टिकोण में परिवर्तन के मुख्य पहलू: महिला अध्ययन से लैंगिक अध्ययन में परिवर्तन के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं-

1. **चर्चा का केंद्रः** महिला अध्ययन का मुख्य उद्देश्य समाज और इतिहास में उपेक्षित महिलाओं के अनुभवों और योगदान को सामने लाना था। जबकि लैंगिक अध्ययन महिलाओं और पुरुषों दोनों को केंद्र में रखकर समाज की लैंगिक संरचना का विश्लेषण करता है।

2. **अनिवार्यता बनाम सामाजिक निर्माणः** महिला अध्ययन में अक्सर जैविक पहचान पर जोर दिया जाता था। लेकिन लैंगिक अध्ययन का मुख्य विचार है कि लिंग एक सामाजिक निर्माण है, अर्थात समाज ही तय करता है कि पुरुष और महिला का व्यवहार कैसा होना चाहिए।

3. **संबंध आधारित विश्लेषणः** महिला अध्ययन मुख्यतः महिला-केंद्रित था। जबकि लैंगिक अध्ययन के अनुसार पुरुषों को शामिल किए बिना महिलाओं की स्थिति को समझना संभव नहीं है। इसमें दोनों के बीच शक्ति संबंधों का विश्लेषण किया जाता है।

4. **पुरुषत्व की चर्चाः** लैंगिक अध्ययन की एक महत्वपूर्ण विशेषता 'पुरुषत्व' (Masculinity) पर शोध है। महिलाओं के दमन को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था पुरुषों की मानसिकता को कैसे प्रभावित करती है।

5. **समावेशन (Inclusivity):** आधुनिक लैंगिक अध्ययन केवल महिला-पुरुष द्वैत तक सीमित नहीं है। यह ट्रांसजेंडर और तीसरे लिंग के लोगों के मुद्दों और अधिकारों को भी समान महत्व देता है।

<u>परिवर्तन के कारण और महत्वः</u> नारीवादी विचारकों के अनुसार, केवल महिलाओं की प्रशंसा करने से असमानता समाप्त नहीं होती। असमानता के मूल कारण—पितृसत्ता—को समझने के लिए महिलाओं और पुरुषों दोनों की सामाजिक भूमिकाओं का विश्लेषण आवश्यक है। इसी समझ से लैंगिक अध्ययन का विकास हुआ, जो शिक्षा के क्षेत्र में अधिक वैज्ञानिक और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

<u>निष्कर्षः</u> अंततः कहा जा सकता है कि महिला अध्ययन इस आंदोलन की शुरुआत थी, जिसने महिलाओं को दृश्यता प्रदान की। जबकि लैंगिक अध्ययन इस चर्चा का एक अधिक परिपक्व और व्यापक रूप है। वर्तमान "लैंगिकता, विद्यालय और समाज" पाठ्यक्रम में यह अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विद्यार्थियों में लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के प्रति स्पष्ट एवं तार्किक समझ विकसित करने में सहायता करती है।

www.dascoaching.in

15. Discuss in brief the probable causes for gender discrimination. লিঙ্গ বৈষম্যের সম্ভাব্য কারণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। लिंग भेदभाव के संभावित कारणों पर संक्षेप में चर्चा करें। **2024**

Ans: भूमिका: लैंगिक असमानता एक सामाजिक समस्या है, जिसमें जैविक लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच अवसर, अधिकार और सम्मान में भेद किया जाता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि एक सामाजिक रूप से निर्मित प्रक्रिया है। लिंग, विद्यालय और समाज के संदर्भ में इस असमानता के कारण अत्यंत गहरे और बहुआयामी हैं।

<u>लैंगिक असमानता के प्रमुख कारण:</u>

1. **पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था:** हमारे समाज की मूल संरचना पितृसत्तात्मक है। यहाँ पुरुष को परिवार का प्रमुख और निर्णय लेने वाला माना जाता है। वंश और संपत्ति के उत्तराधिकार में पुरुषों को प्राथमिकता देना लैंगिक असमानता का प्रमुख कारण है।
2. **सामाजीकरण की प्रक्रिया (Socialization):** बचपन से ही परिवार और समाज लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग भूमिकाएँ तय कर देते हैं। जैसे—लड़कों को साहसी और बहिर्मुखी तथा लड़कियों को शांत और विनम्र बनने की शिक्षा दी जाती है। यह पारंपरिक सामाजीकरण असमानता की नींव रखता है।
3. **शिक्षा की कमी और अंधविश्वास:** महिला शिक्षा की कमी और समाज में व्याप्त अंधविश्वास (जैसे—महिलाएँ केवल घरेलू कार्यों के लिए उपयुक्त हैं) लैंगिक असमानता को बढ़ाते हैं। शिक्षा के अभाव में महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पातीं।
4. **आर्थिक निर्भरता:** अधिकांश मामलों में महिलाएँ आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। संपत्ति के अधिकार से वंचित होना और श्रम बाजार में वेतन असमानता महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना देता है।
5. **धार्मिक कट्टरता और परंपराएँ:** धर्म की गलत व्याख्या और पुरानी कुप्रथाएँ (जैसे—पर्दा प्रथा या बाल विवाह) महिलाओं की स्वतंत्रता और विकास में बाधा बनती हैं।
6. **मीडिया की भूमिका:** विज्ञापन, फिल्म और टीवी धारावाहिकों में अक्सर महिलाओं को केवल उपभोग की वस्तु या घरेलू भूमिकाओं तक सीमित दिखाया जाता है, जिससे समाज में पितृसत्तात्मक प्रभुत्व और मजबूत होता है।

www.dascoaching.in

निष्कर्ष: अंत में कहा जा सकता है कि लैंगिक असमानता केवल महिलाओं या पुरुषों की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक समस्या है। इस असमानता को दूर करने के लिए उचित शिक्षा का प्रसार, मानसिकता में परिवर्तन और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। समाज और विद्यालय में लैंगिक संवेदनशील वातावरण का निर्माण करके ही एक समानतामूलक समाज की स्थापना संभव है।

16. Discuss the recommendation of NCF, 2005 regarding gender parity in schools. বিদ্যালয়ে লিঙ্গ সমতা প্রসঙ্গে NCF, 2005-এর সুপারিশগুলি আলোচনা করুন। विद्यालयों में लिंग समानता के संदर्भ में NCF, 2005 की सिफारिशों पर चर्चा करें। **2024**

Ans: <u>भूमिका:</u> NCF 2005 के अनुसार, लैंगिक असमानता केवल महिलाओं या पुरुषों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह शिक्षा की गुणवत्ता से गहराई से जुड़ी हुई है। विद्यालय का वातावरण किसी भी प्रकार के लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा न दे और प्रत्येक छात्र-छात्रा सम्मान और गरिमा के साथ विकसित हो सके—इसी उद्देश्य से NCF ने कई दिशा-निर्देश दिए हैं।

<u>मुख्य सिफारिशें:</u>

1. पाठ्यपुस्तक एवं पाठ्यक्रम सुधार: पाठ्यपुस्तकों में पितृसत्तात्मक सोच को हटाने की बात कही गई है। महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों तक सीमित न रखकर वैज्ञानिक, नेता या खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत करने की सिफारिश की गई है। साथ ही, जेंडर-न्यूट्रल भाषा के प्रयोग पर जोर दिया गया है।

2. शिक्षक की भूमिका और संवेदनशीलता: शिक्षकों के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रशिक्षण आवश्यक है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों को समान रूप से प्रश्न पूछना, जिम्मेदारियाँ देना और उनके विचारों को समान महत्व देना सुनिश्चित करना चाहिए।

3. छिपा हुआ पाठ्यक्रम (Hidden Curriculum): विद्यालय में रोजमर्रा के कार्यों में यह देखा जाता है कि नेतृत्व या भारी कार्य लड़कों को और सजावट जैसे कार्य लड़कियों को दिए जाते हैं। ऐसी अनौपचारिक परंपराओं को समाप्त करने की सिफारिश की गई है।

4. सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण: लड़कियों की विद्यालय में उपस्थिति बनाए रखने के लिए स्वच्छ और अलग शौचालय की व्यवस्था तथा मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूकता जरूरी है। विद्यालय को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए।

5. सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ: खेल, नृत्य, संगीत या वाद-विवाद जैसी गतिविधियों में लिंग के आधार पर कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। फुटबॉल केवल लड़कों के लिए और खाना बनाना केवल लड़कियों के लिए—ऐसी धारणाओं को तोड़ना आवश्यक है।

6. नारीवादी दृष्टिकोण: NCF ने शिक्षा में नारीवादी दृष्टिकोण को शामिल करने की सिफारिश की है, जिससे विद्यार्थी समाज को नए तरीके से समझ सकें और लैंगिक शक्ति संरचनाओं पर प्रश्न उठा सकें।

निष्कर्ष: अंत में कहा जा सकता है कि NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों को ऐसा स्थान बनाना है जहाँ लैंगिक पहचान किसी के विकास में बाधा न बने। केवल संख्यात्मक समानता ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता और अधिकारों में समानता सुनिश्चित करना इसका आधार है। इन सिफारिशों का सही ढंग से पालन करने पर समाज से लैंगिक भेदभाव को दूर किया जा सकता है।

17. Discuss the role of school in socialization. সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ভূমিকা আলোচনা করুন। सामाजीकरण में विद्यालय की भूमिका पर चर्चा करें। **2024**

Ans: <u>भूमिका:</u> मनुष्य सामाजिक प्राणी के रूप में जन्म लेता है, किन्तु जन्म के समय वह केवल एक जैविक इकाई होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से वह समाज के आदर्शों और संस्कृति को आत्मसात करके एक सामाजिक व्यक्ति बनता है। परिवार के बाद समाजीकरण की दूसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था विद्यालय है। बच्चा अपने जीवन का एक लंबा और महत्वपूर्ण समय विद्यालय में बिताता है, जहाँ वह व्यापक समाज के अनुरूप विकसित होता है।

<u>समाजीकरण में विद्यालय की विभिन्न भूमिकाएँ:</u> विद्यालय एक "लघु समाज" के रूप में कार्य करता है। इसकी प्रमुख भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं-

1. **अनुशासन और व्यवस्था का शिक्षण:** विद्यालय में प्रवेश के बाद बच्चा एक निश्चित दिनचर्या और नियमों के अंतर्गत आता है। समयपालन, नियमों का पालन और प्राधिकरण के प्रति सम्मान उसके चरित्र का अभिन्न अंग बन जाते हैं।
2. **सहयोग और सहानुभूति:** विद्यालय में विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए सहपाठियों के साथ मेलजोल का अवसर मिलता है। खेल, समूह कार्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों में टीम भावना, त्याग और पारस्परिक सहयोग की भावना विकसित होती है।

3. **लैंगिक अवधारणा और समानता:** विद्यालय का पाठ्यक्रम और शिक्षकों का व्यवहार बच्चों की लैंगिक पहचान के निर्माण में सहायता करता है। एक आदर्श विद्यालय लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर लड़के और लड़कियों को समान अवसर प्रदान करता है।
4. **संस्कृति और मूल्यों का संचार:** प्रार्थना सभा, महापुरुषों की जयंती तथा विभिन्न त्योहारों के आयोजन के माध्यम से बच्चे अपने देश की संस्कृति, परंपरा और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक होते हैं।
5. **सामाजिक अंतःक्रिया:** शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच का संबंध बच्चों को सामाजिक व्यवहार के कौशल सिखाता है। शिक्षक यहाँ आदर्श (Role Model) के रूप में कार्य करते हैं, जिनके व्यवहार का अनुकरण बच्चे करते हैं।
6. **गुप्त पाठ्यक्रम (Hidden Curriculum):** औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त, विद्यालय का वातावरण, शिक्षकों का दृष्टिकोण और विद्यालय की नीतियाँ बच्चों पर गहरा प्रभाव डालती हैं, जो अनजाने में उनके सामाजिक मूल्यों का निर्माण करती हैं।

उपसंहार: अंत में कहा जा सकता है कि विद्यालय समाज का दर्पण है। जहाँ परिवार स्नेह और प्रेम के माध्यम से बच्चे का समाजीकरण करता है, वहीं विद्यालय उसे व्यापक संसार की वास्तविकताओं और जिम्मेदारियों से परिचित कराता है। स्वस्थ समाजीकरण के लिए विद्यालय का वातावरण मैत्रीपूर्ण, भेदभावरहित और लोकतांत्रिक होना चाहिए। केवल एक उपयुक्त विद्यालय वातावरण ही बच्चे को एक आदर्श नागरिक बना सकता है।

18. Discuss the requirements that indicate 'women's empowerment' in society. সমাজে 'নারীর ক্ষমতায়ন' নির্দেশ করে এমন প্রয়োজনীয় শর্তাবলী আলোচনা করো। समाज में 'महिला सशक्तिकरण' को दर्शाने वाली आवश्यकताओं की चर्चा कीजिए। **2025**

Ans: प्रस्तावना: महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि करना और उन्हें अपने जीवन तथा समाज से संबंधित विषयों पर स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाना। यह केवल एक सामाजिक अवधारणा नहीं, बल्कि विकास का एक अनिवार्य अंग है। जब महिलाओं को शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति में समान अधिकार मिलते हैं, तभी वास्तविक सशक्तिकरण संभव होता है।

<u>सशक्तिकरण के मुख्य संकेतक/शर्तें:</u> समाज में महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है या नहीं, इसका मूल्यांकन निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है-

1. **शिक्षा का प्रसार:** महिला सशक्तिकरण की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त शिक्षा है। शिक्षा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है और उनमें तार्किक सोच विकसित करती है। साक्षरता दर में वृद्धि और उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी सशक्तिकरण का प्रमुख मापदंड है।

2. **आर्थिक आत्मनिर्भरता:** आर्थिक स्वतंत्रता के बिना वास्तविक सशक्तिकरण संभव नहीं है। संपत्ति में उत्तराधिकार, रोजगार के अवसर और आय पर स्वयं का नियंत्रण इसके प्रमुख पहलू हैं। इससे महिलाएँ परिवार पर निर्भरता से मुक्त होती हैं।

3. **निर्णय लेने की क्षमता:** परिवार, समाज और राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णयों में महिलाओं की राय का महत्व होना आवश्यक है। अपने जीवन, विवाह, संतानोत्पत्ति और पेशे के चयन की स्वतंत्रता सशक्तिकरण का संकेत है।

4. **राजनीतिक भागीदारी:** पंचायत से लेकर संसद तक प्रशासन के हर स्तर पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व सशक्तिकरण को दर्शाता है। राजनीतिक जागरूकता और मतदान का अधिकार इसके महत्वपूर्ण भाग हैं।

5. **कानूनी जागरूकता और सुरक्षा:** समाज में प्रचलित कानूनों (जैसे घरेलू हिंसा विरोधी कानून, दहेज विरोधी कानून) के प्रति जागरूकता और लिंग आधारित भेदभाव या हिंसा के खिलाफ खड़े होने की क्षमता सशक्तिकरण का प्रतीक है।

6. **स्वास्थ्य और पोषण:** अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना तथा प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता और निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण की एक जैविक और सामाजिक शर्त है।

उपसंहार: अंत में कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण कोई अलग-थलग प्रक्रिया नहीं है। यह एक समग्र सामाजिक परिवर्तन है जिसमें पुरुष और महिला के बीच का अंतर कम होता है और दोनों को समान सम्मान एवं अवसर प्राप्त होते हैं। शिक्षा का प्रसार, आर्थिक स्वतंत्रता और अंधविश्वास-मुक्त सामाजिक वातावरण सुनिश्चित करने से ही वास्तविक सशक्तिकरण संभव है, जो अंततः एक स्वस्थ और विकसित समाज के निर्माण में सहायक होता है।

www.dascoaching.in

19. Discuss the role of mass media in genders socialisation of children. শিশুদের লিঙ্গভিত্তিক সামাজিকীকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা আলোচনা করো। बच्चों के लैंगिक समाजीकरण (gender socialization) में मास मीडिया की भूमिका पर चर्चा कीजिए। **2025**

Ans: भूमिका: सामाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा समाज के मानदंड, मूल्य और संस्कृति को सीखता है। बच्चों के लिंग-आधारित सामाजीकरण में परिवार और विद्यालय के साथ-साथ जनसंचार माध्यम (Mass Media) आज अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। टेलीविजन, फिल्में, विज्ञापन और सोशल मीडिया बच्चों के मन में "पुरुषत्व" और "स्त्रीत्व" के बारे में एक विशेष धारणा बनाते हैं।

<u>जनसंचार माध्यम की मुख्य भूमिका:</u> बच्चों में लिंग चेतना और लिंग पहचान के निर्माण पर जनसंचार माध्यम के प्रभाव निम्नलिखित हैं-

1. **लैंगिक रूढ़िवादिता (Stereotyping):** जनसंचार माध्यम अक्सर पुरुषों और महिलाओं को पारंपरिक भूमिकाओं में प्रस्तुत करता है। कार्टून या फिल्मों में लड़कों को साहसी, शक्तिशाली और रक्षक के रूप में तथा लड़कियों को कोमल, शर्मीली और निर्भर के रूप में दिखाया जाता है। इससे बच्चों के मन में यह धारणा बन जाती है कि कुछ गुण विशेष रूप से किसी एक लिंग के लिए ही होते हैं।

2. **विज्ञापनों का प्रभाव:** खिलौनों या सौंदर्य प्रसाधनों के विज्ञापनों में लिंग विभाजन स्पष्ट दिखाई देता है। बंदूक, गाड़ी या रोबोट के विज्ञापनों में लड़कों को और गुड़िया या रसोई सेट के विज्ञापनों में लड़कियों को दिखाया जाता है। इससे बच्चे बचपन से ही निश्चित 'जेंडर रोल' के प्रति जागरूक हो जाते हैं।

3. **व्यावसायिक विभाजन:** जनसंचार माध्यम में प्रायः पुरुषों को डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट और महिलाओं को नर्स, शिक्षिका या गृहिणी के रूप में दिखाया जाता है। इससे बच्चों के भविष्य के करियर चयन में लैंगिक मानसिकता विकसित होती है।

4. **आदर्श शारीरिक बनावट:** जनसंचार माध्यम पुरुषों और महिलाओं के लिए एक विशेष 'परफेक्ट' शारीरिक छवि प्रस्तुत करता है। इससे बच्चों में अपने शरीर के प्रति हीन भावना या गलत धारणाएं उत्पन्न हो सकती हैं।

5. **भाषा का प्रयोग:** जनसंचार माध्यम में प्रयुक्त भाषा और संबोधन कई बार पितृसत्तात्मक सोच को दर्शाते हैं, जिसे बच्चे अनजाने में अपनाते हैं।

सकारात्मक भूमिका: वर्तमान समय में जनसंचार माध्यम लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए भी प्रयास कर रहा है। कई फिल्मों और विज्ञापनों में अब महिलाओं को आत्मनिर्भर और पुरुषों को घरेलू कार्यों में दक्ष के रूप में दिखाया जा रहा है, जिससे बच्चों में प्रगतिशील सोच का विकास होता है।

निष्कर्ष: अंततः कहा जा सकता है कि बच्चों के लैंगिक सामाजीकरण में जनसंचार माध्यम दोधारी तलवार की तरह कार्य करता है। एक ओर यह लैंगिक असमानता को बढ़ावा दे सकता है, वहीं दूसरी ओर सही और जागरूक प्रस्तुति के माध्यम से इसे कम करने में भी मदद कर सकता है। इसलिए बच्चों के स्वस्थ सामाजीकरण के लिए अभिभावकों की जागरूकता और मीडिया सामग्री का उचित नियंत्रण आवश्यक है।

20. Discuss the social and religious perspective of constructing gender. লিঙ্গ (gender) নির্মাণের সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করো। जेंडर (gender) के निर्माण के सामाजिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य की चर्चा कीजिए। **2025**

Ans: भूमिका: समाजशास्त्र की भाषा में 'Sex' एक जैविक अवधारणा है, जबकि 'Gender' एक सामाजिक निर्माण है। अर्थात समाज ही यह तय करता है कि स्त्री और पुरुष का व्यवहार, भूमिका और जिम्मेदारियाँ कैसी होंगी। पश्चिम बंगाल राज्य शिक्षक शिक्षा विश्वविद्यालय (BSAEU) के पाठ्यक्रम के अनुसार, लिंग असमानता और लिंग पहचान के निर्माण में समाज और धर्म की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

<u>लिंग निर्माण का सामाजिक दृष्टिकोण</u>: समाज विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति की लिंग पहचान का निर्माण करता है:

1. **सामाजीकरण (Socialization):** जन्म के बाद से ही परिवार, विद्यालय और साथियों के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाता है कि वह 'लड़का' है या 'लड़की'। लड़कों में साहस और लड़कियों में विनम्रता को महत्व दिया जाता है।

2. **लिंग भूमिकाएँ (Gender Roles):** समाज यह निर्धारित करता है कि खाना बनाना और घर का काम महिलाओं का कार्य है, जबकि बाहर कमाना और शारीरिक श्रम पुरुषों का कार्य है। यह श्रम विभाजन लिंग पहचान को मजबूत करता है।

3. **प्रतीक और खिलौने:** बच्चों के खिलौनों के चयन में भी सामाजिक दृष्टिकोण काम करता है। लड़कों के लिए गाड़ी या बंदूक और लड़कियों के लिए गुड़िया या रसोई सेट निर्धारित करना लिंग निर्माण का प्रारंभिक चरण है।

4. **मीडिया और भाषा:** विज्ञापन, फिल्में और साहित्य में महिलाओं को कोमल और पुरुषों को शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे समाज में लिंग आधारित रूढ़ियाँ (stereotypes) बनती हैं।

<u>लिंग निर्माण का धार्मिक दृष्टिकोण:</u> धार्मिक नियम और परंपराएँ लिंग पहचान को गहराई से प्रभावित करती हैं:

1. **धार्मिक नियम:** अधिकांश प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में पुरुष को परिवार का प्रमुख और महिला को उसका अनुयायी बताया गया है, जिससे पितृसत्तात्मक संरचना और लिंग असमानता को वैधता मिलती है।

2. **रीति-रिवाज:** धार्मिक अनुष्ठानों में स्त्री और पुरुष की भागीदारी और अधिकार अलग-अलग होते हैं। कई स्थानों पर महिलाओं के मंदिर में प्रवेश या पुजारी बनने पर प्रतिबंध लिंग असमानता को स्पष्ट करता है।

3. **नैतिकता और आचार:** पहनावे और व्यवहार के मामलों में धर्म अक्सर महिलाओं पर अधिक कठोर नियम लागू करता है, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति पुरुषों से अलग हो जाती है।

4. **उत्तराधिकार कानून:** कई धर्मों में संपत्ति और उत्तराधिकार के मामले में स्त्री और पुरुष के बीच असमान वितरण लिंग निर्माण का आर्थिक आधार बनता है।

उपसंहार: अंततः कहा जा सकता है कि लिंग निर्माण एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि समाज और धर्म के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। समाज अपनी परंपराओं के माध्यम से और धर्म अपने नियमों के माध्यम से लिंग पहचान का ढांचा तैयार करता है। आधुनिक शिक्षा और बी.एड. पाठ्यक्रम का उद्देश्य इन लिंग

आधारित पूर्वाग्रहों को तोड़कर एक लिंग-निरपेक्ष समाज का निर्माण करना है, जहाँ व्यक्ति की पहचान उसके लिंग से नहीं, बल्कि उसकी योग्यता से निर्धारित होगी।

10 Marks Question

1. Explain the concept of 'Equity and Equality' in relation to caste, class, religion, ethnicity and disability with reference to the context of Indian Society. ভারতীয় সমাজের পটভূমিকায় জাতি ব্যবস্থা, শ্রেণী, ধর্ম, নৃগোষ্ঠী এবং শারীরিক প্রতিবন্ধকতার পরিপ্রেক্ষিতে 'সাম্য ও ন্যায়ের' ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন। भारतीय समाज की पृष्ठभूमि में जाति व्यवस्था, वर्ग, धर्म, जनजाति और विकलांगता के संदर्भ में 'समानता और न्याय' की अवधारणा की व्याख्या करें। **2018, 2021, 2023**

Ans: **भूमिका:** भारतीय समाज अत्यंत विविधतापूर्ण और जटिल संरचना वाला है। इस समाज में *'समानता' (Equality)* का अर्थ है सभी को समान अवसर देना, जबकि *'न्याय' या 'समता' (Equity)* का अर्थ है व्यक्ति की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार उसे अतिरिक्त अवसर देकर दूसरों के समान स्तर पर लाना। अर्थात, समानता लक्ष्य है और न्याय उस लक्ष्य तक पहुँचने का माध्यम है।

विभिन्न संदर्भ और चर्चा:

1. जाति व्यवस्था: भारतीय समाज में जाति व्यवस्था हजारों वर्षों की असमानता का इतिहास प्रस्तुत करती है। यहाँ समानता स्थापित करने का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन। लेकिन ऐतिहासिक वंचना के कारण केवल समान अवसर पर्याप्त नहीं है। इसलिए न्याय (Equity) के तहत अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

2. वर्ग (Class): आर्थिक असमानता ने भारत में अमीर और गरीब के बीच एक बड़ी खाई बना दी है। समानता बनाए रखने के लिए राज्य सभी को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देता है। लेकिन गरीब विद्यार्थियों के लिए मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क पुस्तकें और छात्रवृत्ति देना न्याय का उदाहरण है। इससे वे सम्पन्न छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाते हैं।

3. धर्म (Religion): भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ समानता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। लेकिन अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा की रक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 29

और 30 के तहत दिए गए विशेष अधिकार सामाजिक न्याय के उदाहरण हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बहुसंख्यकों के दबाव में अल्पसंख्यकों का अस्तित्व समाप्त न हो।

4. जातीयता (Ethnicity): भारत के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर-पूर्व में अनेक जनजातीय समूह रहते हैं, जो मुख्यधारा से अलग हैं। उन्हें मुख्यधारा में लाना समानता के लिए आवश्यक है, वहीं उनकी भाषा, संस्कृति और स्वायत्तता की रक्षा करना न्याय का प्रतीक है। छठी अनुसूची और क्षेत्रीय परिषदें इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

5. दिव्यांगता (Disability): दिव्यांग व्यक्तियों के संदर्भ में समानता और न्याय का अंतर सबसे स्पष्ट होता है। एक सामान्य छात्र और एक दृष्टिहीन छात्र को एक ही प्रश्नपत्र देना समानता हो सकता है, लेकिन यह न्याय नहीं है। न्याय के लिए दृष्टिहीन छात्रों के लिए लेखक (Writer), ब्रेल प्रणाली और रैंप जैसी सुविधाएँ आवश्यक हैं। 1995 और 2016 के दिव्यांग अधिकार कानून इन सुविधाओं को अधिकार के रूप में मान्यता देते हैं।

विद्यालय और समानता-न्याय का संबंध: शिक्षा के क्षेत्र में इन दोनों अवधारणाओं का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- **समावेशी शिक्षा (Inclusive Education)**: जहाँ सभी प्रकार के विद्यार्थी साथ में शिक्षा प्राप्त करते हैं।
- **शिक्षक की भूमिका**: शिक्षक को समझना होगा कि हर बच्चे की सामाजिक और शारीरिक पृष्ठभूमि अलग होती है, इसलिए विविध शिक्षण पद्धतियाँ अपनानी चाहिए।

उपसंहार: अंततः कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तभी संभव है जब समानता और न्याय एक-दूसरे के पूरक बनें। यदि समानता लक्ष्य है, तो न्याय उस तक पहुँचने का साधन है। एक संतुलित समाज के निर्माण के लिए केवल समान अवसर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करना आवश्यक है।

www.dascoaching.in

2. Discuss different roles of teachers in reducing sexual harassment and abuse. যৌন হয়রানি ও অপব্যবহার হ্রাসে শিক্ষকের বিভিন্ন ভূমিকা আলোচনা করুন। यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार को कम करने में शिक्षकों की विभिन्न भूमिकाओं पर चर्चा करें। **2018, 2020, 2022**

Ans: <u>भूमिका</u>: शैक्षणिक संस्थान एक बच्चे का सुरक्षित आश्रय स्थल और चरित्र निर्माण का केंद्र होता है। वर्तमान समाज में बढ़ती हुई यौन उत्पीड़न और दुरुपयोग की घटनाएँ बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में बड़ी बाधा बन गई हैं। शिक्षक केवल शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि वे एक मार्गदर्शक और अभिभावक भी होते हैं। यौन उत्पीड़न मुक्त स्वस्थ सामाजिक वातावरण बनाने में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

<u>यौन उत्पीड़न और दुरुपयोग की रोकथाम में शिक्षक की विभिन्न भूमिकाएँ</u>: यौन उत्पीड़न और दुरुपयोग को रोकने में शिक्षक के दायित्वों और कर्तव्यों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

1. **जागरूकता बढ़ाना और शिक्षा प्रदान करना:** शिक्षक छात्रों की आयु के अनुसार 'गुड टच' (Good Touch) और 'बैड टच' (Bad Touch) के बारे में स्पष्ट जानकारी देंगे। कई बार बच्चे यह समझ नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। शिक्षक उन्हें शरीर की सुरक्षा और व्यक्तिगत सीमाओं के बारे में जागरूक करेंगे।

2. **लैंगिक संवेदनशीलता (Gender Sensitivity):** शिक्षक कक्षा में लड़के और लड़कियों को समान सम्मान देंगे। लैंगिक भेदभाव को दूर करना और आपसी सम्मान की भावना विकसित करना शिक्षक का प्रमुख कार्य है। जब छात्र एक-दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं, तो उत्पीड़न की प्रवृत्ति कम हो जाती है।

3. **यौन शिक्षा और जीवन कौशल शिक्षा (Life Skill Education):** किशोरों में शारीरिक परिवर्तन और यौनता को लेकर कई भ्रांतियाँ होती हैं। शिक्षक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यौन शिक्षा प्रदान करेंगे ताकि छात्र गलत स्रोतों से भ्रमित न हों। आत्मरक्षा और विरोध के तरीके सिखाना भी इस शिक्षा का हिस्सा है।

4. **सुरक्षित वातावरण और निगरानी:** शिक्षक विद्यालय के हर स्थान, जैसे—पुस्तकालय, खेल का मैदान या शौचालय की सुरक्षा पर ध्यान देंगे। यदि छात्रों के व्यवहार में कोई असामान्य परिवर्तन दिखे

www.dascoaching.in

(जैसे अचानक चुप हो जाना या स्कूल आने से डरना), तो शिक्षक को सहानुभूति के साथ उसके कारण का पता लगाना चाहिए।

5. **शिकायत स्वीकार करना और गोपनीयता बनाए रखना:** यदि कोई छात्र किसी अप्रिय घटना की जानकारी देता है, तो शिक्षक को उसे गंभीरता से सुनना चाहिए। छात्र को बिना डराए यह भरोसा दिलाना चाहिए कि शिक्षक उसके साथ हैं। इस स्थिति में गोपनीयता बनाए रखना बहुत आवश्यक है ताकि छात्र सामाजिक रूप से अपमानित न हो।

6. **मूल्यों का विकास:** शिक्षक अपने व्यवहार से आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। वे छात्रों में नैतिकता, सहानुभूति और मानवीय मूल्यों का विकास करेंगे ताकि वे कभी भी किसी का अपमान या दुरुपयोग करने के बारे में न सोचें।

7. **अभिभावकों और प्रशासन के साथ समन्वय:** यौन उत्पीड़न रोकने के लिए शिक्षक, अभिभावक और विद्यालय प्रशासन के बीच नियमित संवाद आवश्यक है। अभिभावक-शिक्षक बैठकों (PTM) में इस विषय पर चर्चा करना और आवश्यक होने पर कानूनी कार्रवाई (जैसे POCSO अधिनियम) के बारे में मार्गदर्शन देना शिक्षक का कर्तव्य है।

उपसंहार: अंत में कहा जा सकता है कि यौन उत्पीड़न और दुरुपयोग एक सामाजिक बुराई है, जिसे समाप्त करने के लिए शिक्षक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। यदि शिक्षक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाएँ, तो छात्र साहसी और जागरूक बनेंगे। विद्यालय का सुरक्षित वातावरण ही आने वाली पीढ़ी के स्वस्थ और उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित कर सकता है। इसलिए समाज और राज्य को इस संघर्ष में शिक्षकों को सशक्त बनाना चाहिए।

3. Discuss the construction of gender in school curriculum framework since Independence. স্বাধীনতার পর থেকে বিদ্যালয় পাঠক্রম কাঠামোয় লিঙ্গ পরিচয়ের নির্মাণ সম্পর্কে আলোচনা করুন। स्वतंत्रता के बाद से विद्यालय पाठ्यक्रम ढांचे में लिंग निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा करें। **2019, 2021**

Ans: प्रस्तावना: 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करना था। किंतु विद्यालयी पाठ्यक्रम लंबे समय तक पितृसत्तात्मक सोच से प्रभावित रहा। 'जेंडर' एक सामाजिक निर्माण है, जिसे पाठ्यपुस्तकों, शिक्षकों के व्यवहार और विद्यालय के

वातावरण के माध्यम से विद्यार्थियों के मन में स्थापित किया जाता है। समय के साथ विभिन्न शिक्षा आयोगों और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखाओं (NCF) के माध्यम से इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया गया।

पाठ्यचर्या रूपरेखा में जेंडर निर्माण के विभिन्न चरण और विकास:

1. सत्तर के दशक से पूर्व (परंपरागत भूमिकाएँ): स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में पाठ्यक्रम में जेंडर असमानता स्पष्ट थी। उस समय यह माना जाता था कि महिलाओं का मुख्य कार्य घर का काम करना है और पुरुषों का कार्य कमाना है।

- पाठ्यपुस्तकों में माँ को रसोई में और पिता को कार्यालय में कार्य करते हुए दिखाया जाता था।
- लड़कियों को गृह विज्ञान और लड़कों को विज्ञान एवं गणित पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था।

2. कोठारी आयोग (1964–66) और जेंडर समानता: कोठारी आयोग ने पहली बार शिक्षा के माध्यम से जेंडर असमानता दूर करने पर बल दिया। इसने लड़कों और लड़कियों के लिए समान पाठ्यक्रम की सिफारिश की, जिससे लड़कियों को भी विज्ञान और गणित में समान अवसर मिल सके।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE, 1986): यह नीति महिला शिक्षा के सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसमें पाठ्यक्रम को जेंडर-न्यूट्रल बनाने पर जोर दिया गया। पाठ्यपुस्तकों की भाषा और चित्रों में मौजूद जेंडर रूढ़ियों को हटाने के निर्देश दिए गए।

4. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF, 2005): NCF 2005 ने जेंडर पहचान की समझ में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इसमें जेंडर को केवल पुरुष-स्त्री द्वैत के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक दृष्टिकोण के रूप में देखा गया। इसके प्रमुख विशेषताएँ हैं-

- **जेंडर संवेदनशीलता:** ऐसे उदाहरण शामिल करना जो पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती दें, जैसे—महिलाओं को पायलट और पुरुषों को देखभाल करने वाले के रूप में दिखाना।
- **छिपा हुआ पाठ्यक्रम (Hidden Curriculum):** खेल के मैदान, बैठने की व्यवस्था और पुस्तकालय में लड़कों के प्रभुत्व को कम करना।

विद्यालयी पाठ्यक्रम में जेंडर निर्माण के मुख्य माध्यम: विद्यालय जीवन में जेंडर पहचान का निर्माण मुख्यतः तीन स्तरों पर होता है-

1. **पाठ्यपुस्तक की सामग्री:** इतिहास में महिला नेताओं को शामिल करना और साहित्य में महिलाओं को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत रूप में प्रस्तुत करना।

2. **शिक्षक की भूमिका:** यदि शिक्षक कठिन प्रश्न केवल लड़कों से पूछते हैं या लड़कियों को शांत रहने को कहते हैं, तो यह नकारात्मक जेंडर पहचान बनाता है। वर्तमान में जेंडर-संवेदनशील शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है।

3. **सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ:** नृत्य केवल लड़कियों के लिए और फुटबॉल केवल लड़कों के लिए—इस धारणा को तोड़कर सभी को समान भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना।

वर्तमान संदर्भ और नई शिक्षा नीति (NEP, 2020): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 'Gender Inclusion Fund' बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, जो ट्रांसजेंडर बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इससे जेंडर निर्माण की अवधारणा अधिक व्यापक और समावेशी हो गई है।

निष्कर्ष: अंततः कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद विद्यालयी पाठ्यचर्या का विकास केवल जानकारी में परिवर्तन का इतिहास नहीं, बल्कि दृष्टिकोण में बदलाव का इतिहास है। यद्यपि पाठ्यपुस्तकों से काफी हद तक जेंडर भेदभाव को हटाया गया है, फिर भी विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में 'छिपा हुआ पाठ्यक्रम' अभी भी मौजूद है। वास्तविक जेंडर समानता स्थापित करने के लिए शिक्षकों, अभिभावकों और पाठ्यक्रम निर्माताओं के सामूहिक मानसिक परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि विद्यालय एक जेंडर-न्यूट्रल और स्वस्थ समाज के निर्माण का केंद्र बन सके।

4. Briefly write down the basic changes about the paradigm shift from Women Studies to Gender Studies. নারীচর্চা থেকে লিঙ্গচর্চায় দৃষ্টিভঙ্গির যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে তা সংক্ষেপে লিখুন। स्त्री अध्ययन से लिंग अध्ययन की ओर दृष्टिकोण में आए मूलभूत परिवर्तनों को संक्षेप में लिखिए। **2019, 2020, 2022**

Ans: प्रस्तावना: बीसवीं शताब्दी के मध्य में नारीवाद के प्रभाव से *महिला अध्ययन (Women's Studies)* विषय का उद्भव हुआ। प्रारंभ में इसका मुख्य उद्देश्य पितृसत्तात्मक समाज में दबाई गई महिलाओं के इतिहास, अनुभवों और अधिकारों को सामने लाना था। समय के साथ समाजशास्त्रीय विचारधारा में विकास हुआ और 1980 के दशक के अंत तक महिला अध्ययन का विस्तार होकर *लैंगिक अध्ययन (Gender*

Studies) में परिवर्तित हो गया। यह परिवर्तन केवल नाम का नहीं था, बल्कि दृष्टिकोण में एक गहरा मूलभूत बदलाव था।

महिला अध्ययन से लैंगिक अध्ययन में प्रमुख परिवर्तन:

1. केंद्र में परिवर्तन: महिला अध्ययन का मुख्य केंद्र केवल महिलाएँ थीं—उनकी समस्याएँ, संघर्ष और उपलब्धियाँ। वहीं, लैंगिक अध्ययन का केंद्र *जेंडर* नामक सामाजिक संरचना है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को एक सामाजिक संबंध के रूप में देखा जाता है।

2. जैविक लिंग बनाम सामाजिक लिंग: महिला अध्ययन में जैविक पहचान (Sex) पर अधिक ध्यान दिया जाता था। लैंगिक अध्ययन में *Sex* और *Gender* के बीच स्पष्ट अंतर किया जाता है। यह मानता है कि कोई व्यक्ति जन्म से स्त्री या पुरुष नहीं बनता, बल्कि समाज उसे ऐसा बनाता है।

3. पितृसत्ता की नई व्याख्या: महिला अध्ययन में पितृसत्ता को महिलाओं पर पुरुषों के प्रभुत्व के रूप में देखा जाता था। लैंगिक अध्ययन इस विचार को विस्तृत करता है और बताता है कि पितृसत्ता पुरुषों को भी सीमित करती है।

4. समावेशन और विविधता: महिला अध्ययन की आलोचना इस बात के लिए हुई कि यह मुख्यतः उच्चवर्गीय महिलाओं तक सीमित था। लैंगिक अध्ययन अधिक समावेशी है और इसमें LGBTQ+ समुदाय, वंचित वर्ग और तृतीय लिंग के लोगों को भी शामिल किया जाता है।

5. शक्ति संबंध (Power Dynamics): लैंगिक अध्ययन समाज में शक्ति के वितरण का विश्लेषण करता है। यह मानता है कि जेंडर शक्ति का एक रूप है और यह देखता है कि असमान शक्ति संबंध शिक्षा, परिवार और कार्यस्थल को कैसे प्रभावित करते हैं।

6. पुरुषत्व का अध्ययन: महिला अध्ययन में पुरुषों पर चर्चा कम थी। लैंगिक अध्ययन में *पुरुषत्व* (Masculinity) पर भी गहन शोध किया जाता है—जैसे पुरुषों से हमेशा मजबूत रहने या भावनाएँ न दिखाने की अपेक्षा क्यों की जाती है।

शिक्षा के संदर्भ में लैंगिक अध्ययन का महत्व (B.Ed):

- शिक्षकों को समझने में मदद करता है कि लड़कों और लड़कियों के बीच अंतर सामाजिक रूप से निर्मित हैं।

- विद्यालयों में लैंगिक भेदभाव को कम कर *जेंडर-न्यूट्रल* वातावरण बनाने में सहायता करता है।
- पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम में मौजूद लैंगिक पक्षपात की पहचान करना सिखाता है।

निष्कर्ष: अंत में कहा जा सकता है कि महिला अध्ययन से लैंगिक अध्ययन की ओर यह परिवर्तन संकीर्णता से व्यापकता की ओर यात्रा है। जहाँ महिला अध्ययन ने महिलाओं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं लैंगिक अध्ययन सभी लिंगों के बीच समानता और सामाजिक न्याय की नींव रखता है। यह एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहाँ लिंग पहचान किसी के विकास में बाधा न बने। यह परिवर्तन आधुनिक शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है।

5. Briefly discuss the contributions of different commissions and committees in India on Women Education and Empowerment. নারীশিক্ষা ও ক্ষমতায়নে ভারতের বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করুন।भारत में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण पर विभिन्न आयोगों और समितियों के योगदान पर संक्षेप में चर्चा करें। **2023, 2025**

Ans: भूमिका: भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने और शिक्षा के प्रसार के लिए स्वतंत्रता से पहले और बाद में कई आयोगों का गठन किया गया। इन आयोगों का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक सोच को समाप्त करना, महिलाओं को आधुनिक शिक्षा देना और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था।

मुख्य आयोगों और समितियों का योगदान:

1. राधाकृष्णन आयोग (1948–49): यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था जिसने महिला शिक्षा के महत्व को स्पष्ट रूप से समझा।

सिफारिशें:

- गृह विज्ञान, ललित कला और नर्सिंग में महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था।
- उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के लिए अलग महिला कॉलेजों की स्थापना।

2. दुर्गाबाई देशमुख समिति (1958): यह महिला शिक्षा के विकास के लिए पहली विशेष समिति थी।

1. **समानता:** लड़कों और लड़कियों के लिए समान पाठ्यक्रम का प्रस्ताव।

2. **विशेष व्यवस्था:** ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार अलग बालिका विद्यालय स्थापित करने की सिफारिश।

3. हंसा मेहता समिति (1962): इस समिति ने शिक्षा में लैंगिक असमानता को दूर करने पर जोर दिया।

1. प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर समान पाठ्यक्रम की सिफारिश।
2. लड़कियों के लिए विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा के अवसर बढ़ाने की बात कही।

4. कोठारी आयोग (1964–66): इसे भारतीय शिक्षा का "महाधिकार पत्र" कहा जाता है। इसने महिला शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का अभिन्न अंग माना।

1. 20 वर्षों के लिए लैंगिक अंतर कम करने हेतु विशेष योजना।
2. बालिका विद्यालयों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति और छात्रावास सुविधाओं पर जोर।

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986): यह नीति महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

1. **शिक्षा और समानता:** महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने की क्षमता विकसित करना।
2. पाठ्यक्रम में जेंडर संवेदनशीलता को शामिल करना।

6. राधाकृष्णन समिति और जनार्दन रेड्डी समिति (1992): इन समितियों ने 1986 की नीति की समीक्षा कर महिलाओं के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के अवसर बढ़ाने की सिफारिश की।

सशक्तिकरण में शिक्षा का प्रभाव:

1. **आर्थिक स्वतंत्रता:** व्यावसायिक शिक्षा ने रोजगार के अवसर बढ़ाए।
2. **अधिकारों की जागरूकता:** महिलाओं में कानूनी अधिकारों और सामाजिक स्थिति के प्रति जागरूकता आई।
3. **निर्णय लेने की क्षमता:** शिक्षा के माध्यम से महिलाएं पारिवारिक और राजनीतिक निर्णयों में भाग लेने लगीं।

उपसंहार: अंततः कहा जा सकता है कि भारत के विभिन्न आयोगों और समितियों ने महिला शिक्षा को केवल व्यक्तिगत विकास नहीं, बल्कि सामाजिक विकास का माध्यम माना है। दुर्गाबाई देशमुख समिति से शुरू हुआ यह आंदोलन आज राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर और सम्मानित बना रहा है। फिर भी, पूर्ण कार्यान्वयन के लिए सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन और आधारभूत संरचना का विकास आवश्यक है।

6. Discuss the role of family in the construction of gender identities and socialization.
লিঙ্গ পরিচয় নির্মাণ ও সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা আলোচনা করুন। लैंगिक पहचान निर्माण और सामाजिकरण में परिवार की भूमिका पर चर्चा करें। **2024**

Ans: भूमिका: सामाजिककरण का सबसे प्रमुख और प्रारंभिक माध्यम परिवार है। एक बच्चे के जन्म के बाद से ही वह अपने व्यक्तित्व, आदर्श और सामाजिक व्यवहार की शिक्षा परिवार से प्राप्त करता है। लिंग पहचान (Gender Identity) जन्मजात नहीं होती, बल्कि यह एक सामाजिक निर्मिति है। समाज और संस्कृति की अपेक्षाओं के अनुसार बच्चा स्वयं को 'पुरुष' या 'महिला' के रूप में विकसित करना परिवार से ही सीखता है।

1. लिंग आधारित कार्य विभाजन: परिवार में बच्चा सबसे पहले लिंग आधारित कार्य विभाजन देखता है। सामान्यतः माँ घर का काम करती हैं और पिता बाहर का काम करते हैं। इससे बच्चे के मन में यह धारणा बनती है कि कुछ कार्य विशेष लिंग के लिए निर्धारित हैं।

2. खिलौने और वस्त्रों का उपयोग: परिवार बच्चों को लिंग के आधार पर अलग-अलग खिलौने और कपड़े देता है। लड़कों को गाड़ी, बंदूक या फुटबॉल और लड़कियों को गुड़िया या रसोई के खिलौने दिए जाते हैं। इसी प्रकार रंग और वस्त्रों में भेदभाव (जैसे लड़कों के लिए नीला, लड़कियों के लिए गुलाबी) लिंग भेदभाव की भावना को जन्म देता है।

3. व्यवहार का सामाजिककरण: परिवार में लड़कों और लड़कियों से अलग-अलग व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। लड़कों को साहसी, कठोर और बहिर्मुखी बनने के लिए प्रेरित किया जाता है, जबकि लड़कियों से नम्र, धैर्यशील और गृह-उन्मुख होने की अपेक्षा की जाती है। ये रूढ़िवादी अपेक्षाएँ लिंग पहचान को प्रभावित करती हैं।

4. भाषा और संबोधन: परिवार के सदस्य बच्चों से बात करते समय जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, वह भी उनकी लिंग पहचान को प्रभावित करती है। लड़कियों को "प्यारी", "सुंदर" कहा जाता है, जबकि लड़कों को "मजबूत" या "वीर" कहा जाता है। यह भाषाई अंतर आत्म-परिचय को प्रभावित करता है।

5. निर्णय लेने की प्रक्रिया: अधिकांश पितृसत्तात्मक परिवारों में निर्णय लेने की शक्ति पुरुषों के पास होती है। इससे बच्चे सीखते हैं कि अधिकार पुरुषों के पास होता है और महिलाएँ सहायक भूमिका निभाती हैं। इससे शक्ति के असमान वितरण की धारणा बनती है।

6. अनुकरण और पहचान (Identification): बच्चे सामान्यतः अपने समान लिंग के अभिभावक का अनुकरण करते हैं। लड़के अपने पिता और लड़कियाँ अपनी माँ को आदर्श मानते हैं। इस प्रक्रिया से वे समाज में स्वीकृत स्त्री या पुरुष गुणों को अपनाते हैं।

7. रूढ़िवादिता बनाम प्रगतिशीलता: यदि परिवार प्रगतिशील है और लिंग समानता में विश्वास करता है, तो बच्चे किसी निश्चित ढाँचे में सीमित नहीं होते। आधुनिक परिवार लड़के और लड़कियों दोनों को समान अवसर और स्वतंत्रता देते हैं, जिससे स्वस्थ और निष्पक्ष लिंग पहचान विकसित होती है।

निष्कर्ष: अंत में कहा जा सकता है कि लिंग पहचान के निर्माण में परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवार ही तय करता है कि समाज व्यक्ति से क्या अपेक्षा करता है। लेकिन वर्तमान बदलते समाज में लिंग भेदभाव को समाप्त करने के लिए परिवार की सोच में परिवर्तन आवश्यक है। यदि बचपन से ही लिंग-निरपेक्ष वातावरण बनाया जाए, तो भविष्य की पीढ़ी में समानता और स्वस्थ सामाजिककरण संभव होगा, जो एक भेदभाव रहित समाज के निर्माण में सहायक होगा।

7. What is sexual harassment? Critically evaluate the role of the teacher in reducing sexual harassment in educational institutions. যৌন হয়রানি কী? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি রোধে শিক্ষকের ভূমিকার সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করুন। यौन उत्पीड़न क्या है? शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न को कम करने में शिक्षक की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। **2024**

Ans: भूमिका: यौन उत्पीड़न वह व्यवहार है जिसमें किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उस पर यौन संकेत वाले कार्य थोपे जाते हैं, जिससे उसकी शारीरिक या मानसिक गरिमा को ठेस पहुँचती है। शैक्षणिक संस्थानों में यह एक गंभीर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या है। यह न केवल विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा

डालता है, बल्कि उनके समग्र विकास पर भी दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव डालता है। शिक्षण संस्थानों को सुरक्षित और समावेशी बनाने में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

<u>यौन उत्पीड़न क्या है?</u> यौन उत्पीड़न से तात्पर्य ऐसे अवांछित यौन व्यवहार से है जो पीड़ित के लिए अपमानजनक या भयावह वातावरण उत्पन्न करता है। इसमें शामिल हो सकते हैं-

1. अवांछित शारीरिक स्पर्श या निकटता का प्रयास
2. यौन संकेत वाले टिप्पणियाँ या अश्लील मजाक
3. अश्लील चित्र या वीडियो दिखाना
4. यौन संबंधी लाभ की मांग या प्रलोभन देना
5. इशारों या मौखिक टिप्पणियों से छेड़छाड़ करना (जैसे ईव-टीजिंग)

<u>यौन उत्पीड़न रोकने में शिक्षक की भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन:</u> शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न रोकने में शिक्षक की भूमिका बहुआयामी है। इसके सकारात्मक पहलुओं के साथ-साथ कुछ सीमाएँ भी हैं। नीचे इसका समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत है-

1. जागरूकता और लैंगिक संवेदनशीलता: शिक्षक कक्षा में लैंगिक भेदभाव को दूर कर सकते हैं और विद्यार्थियों को यौन उत्पीड़न के प्रति जागरूक बना सकते हैं। उचित यौन शिक्षा, जैसे अच्छे और बुरे स्पर्श की समझ, देना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है।

2. नैतिक और मूल्य शिक्षा: शिक्षक विद्यार्थियों में आपसी सम्मान और नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं, जिससे ऐसा वातावरण बने जहाँ सभी सुरक्षित महसूस करें। पाठ्यपुस्तकों के बाहर भी मूल्य शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

3. शिकायत स्वीकार करना और सुरक्षा प्रदान करना: यदि कोई विद्यार्थी उत्पीड़न का शिकार होता है, तो शिक्षक का पहला कर्तव्य है कि वह सहानुभूति के साथ उसकी बात सुने और गोपनीयता बनाए रखते हुए उचित कदम उठाए। इस स्थिति में शिक्षक एक परामर्शदाता की भूमिका निभाते हैं।

4. निगरानी और सुरक्षित वातावरण का निर्माण: अवकाश या खाली समय में विद्यालय के एकांत स्थानों पर निगरानी रखना शिक्षकों की जिम्मेदारी है, जिससे अपराध की संभावना कम होती है।

www.dascoaching.in

समालोचनात्मक दृष्टिकोण: हालाँकि शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है, फिर भी व्यवहार में कुछ सीमाएँ देखी जाती हैं-

1. **उदासीनता:** कई शिक्षक इन घटनाओं को मामूली समझकर अनदेखा कर देते हैं, जिससे अपराधियों को बढ़ावा मिलता है।
2. **भय और सामाजिक दबाव:** संस्थान की बदनामी के डर से शिकायतों को दबा दिया जाता है।
3. **पक्षपात:** प्रभावशाली छात्रों या सहकर्मियों के मामलों में निष्पक्षता की कमी देखी जाती है।
4. **प्रशिक्षण की कमी:** कई शिक्षकों को यौन उत्पीड़न और POCSO कानून की पर्याप्त जानकारी नहीं होती, जिससे वे सही मार्गदर्शन नहीं दे पाते।

उपसंहार: अंत में कहा जा सकता है कि शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न केवल प्रशासनिक समस्या नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक समस्या है। शिक्षक विद्यार्थियों के मुख्य अभिभावक और आदर्श होते हैं। इसलिए केवल पढ़ाना ही नहीं, बल्कि जागरूकता फैलाना, त्वरित कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाना, तथा विद्यार्थियों के लिए भरोसेमंद वातावरण बनाना उनकी जिम्मेदारी है। इसके लिए शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। स्वस्थ समाज के निर्माण की कुंजी शिक्षकों के हाथ में है।

8. Briefly discuss the impact of caste system on Indian Civilization. ভারতীয় সভ্যতার ওপর জাতিভেদ প্রথার প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করো. भारतीय सभ्यता पर जाति व्यवस्था के प्रभाव की संक्षेप में चर्चा कीजिए. **2025**

Ans: प्रस्तावना: भारतीय समाज व्यवस्था की एक अनोखी और विवादास्पद विशेषता है जाति प्रथा (Caste System)। प्राचीन वैदिक काल के 'वर्णाश्रम' से उत्पन्न यह प्रथा समय के साथ एक कठोर सामाजिक श्रेणीबद्ध व्यवस्था में बदल गई। भारतीय सभ्यता के विकास पर इसका प्रभाव अत्यंत गहरा और बहुआयामी रहा है। एक ओर इसने समाज की स्थिरता बनाए रखने में सहायता की, तो दूसरी ओर असमानता और विभाजन को जन्म दिया।

भारतीय सभ्यता में जाति प्रथा के सकारात्मक प्रभाव: यद्यपि आधुनिक दृष्टिकोण से जाति प्रथा को नकारात्मक माना जाता है, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इसके कुछ सकारात्मक पक्ष थे-

1. **श्रम विभाजन और कौशल विकास:** जाति प्रथा मूल रूप से एक सुव्यवस्थित श्रम विभाजन थी। विभिन्न जातियों के लोग विशेष व्यवसायों में संलग्न रहते थे, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी कौशल का विकास होता था।

2. **सामाजिक सुरक्षा:** प्रत्येक जाति अपने सदस्यों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती थी। बीमारी या बेरोजगारी के समय लोग एक-दूसरे की सहायता करते थे।

3. **संस्कृति का संरक्षण:** परंपराओं, रीति-रिवाजों और धार्मिक आचरणों के निरंतर पालन से प्राचीन भारतीय संस्कृति और विरासत सुरक्षित रही।

भारतीय सभ्यता में जाति प्रथा के नकारात्मक प्रभाव:

1. **अस्पृश्यता और अमानवीयता:** जाति प्रथा का सबसे घातक पहलू अस्पृश्यता है। तथाकथित निम्न जातियों को सामाजिक अधिकारों से वंचित करना और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना भारतीय सभ्यता की नैतिक नींव को कमजोर करता है।

2. **राष्ट्रीय एकता में बाधा:** उच्च और निम्न जातियों के बीच विभाजन राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बड़ी बाधा है। इसी कारण भारत कई बार विदेशी शक्तियों के सामने कमजोर पड़ा।

3. **महिलाओं की स्थिति और वंचना:** B.Ed के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है। जाति प्रथा ने लैंगिक असमानता को बढ़ाया। निम्न जाति की महिलाएँ दोहरे शोषण का शिकार हुईं—जातिगत भेदभाव और पितृसत्तात्मक प्रभुत्व।

4. **प्रतिभा का दुरुपयोग:** इस प्रथा में कार्य जन्म के आधार पर तय होता था, न कि योग्यता के आधार पर। इससे योग्य लोगों को उचित अवसर नहीं मिला और समाज की प्रगति बाधित हुई।

5. **लोकतांत्रिक आदर्शों के विरुद्ध:** भारतीय संविधान में निहित समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों के विपरीत जाति प्रथा समाज में ऊँच-नीच बनाए रखती है और लोकतंत्र को नुकसान पहुँचाती है।

www.dascoaching.in

शिक्षा और समाज सुधारकों की भूमिका: जाति प्रथा के दुष्प्रभावों को दूर करने में Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Mahatma Gandhi और B. R. Ambedkar का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक शिक्षा और जागरूकता ने इसकी कठोरता को काफी हद तक कम किया है। विद्यालयों में समावेशी शिक्षा जातिगत भेदभाव को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

उपसंहार: अंत में कहा जा सकता है कि जाति प्रथा ने लंबे समय तक भारतीय समाज की संरचना को बनाए रखा, लेकिन इसकी कठोरता और भेदभाव ने सामाजिक प्रगति को बाधित किया। 21वीं सदी में विज्ञान और आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से इसका असर कम हुआ है, फिर भी मानसिक स्तर पर इसका प्रभाव अभी भी मौजूद है। एक स्वस्थ और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए जाति प्रथा से ऊपर उठकर मानवता को प्राथमिकता देना और शिक्षा में समानता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

*****

आपको यह ई-बुक कैसी लगी, या यदि आपके पास कोई फीडबैक या सुझाव है, तो कृपया नीचे दिए गए संचार माध्यमों से हमें बताएं या नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भरें। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा!

Email: contact.dascoaching@gmail.com
WhatsApp / Arattai: +91 9339697099

FOLLOW OUR WEBSITE REGULARLY FOR MORE UPDATE

www.dascoaching.in Or, https://bedcourse.dascoaching.in/

Send Your Feedback (Your feedback inspires our progress.)>> **Feedback Here**

Join Our Official Arattai Channel
Stay connected with "**DAS Coaching**" on your favourite platform:
JOIN NOW

Thank You

DAS Coaching Standard Copyright & Disclaimer

Copyright © 2026 DAS Coaching (Education Service)

All Rights Reserved.

This publication is the intellectual property of ***DAS Coaching (Education Service).***

No part of this publication may be copied, reproduced, stored, translated, distributed, transmitted, or published in any form or by any means, whether electronic, digital, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission from the publisher, except where permitted under applicable copyright law.

This material has been prepared solely for educational and academic purposes. While every effort has been made to ensure the accuracy and quality of the content, readers are encouraged to consult official university notifications, syllabus updates, and academic guidelines wherever applicable.

Some language editing, formatting, and translation support may have been provided using Artificial Intelligence (AI)-assisted tools. However, the final content, editorial review, academic structure, and publication have been prepared, verified, and approved by ***DAS Coaching.***

The publisher shall not be held responsible for any direct or indirect loss arising from the use of this publication.

Publisher

DAS Coaching (Education Service)

🌐 ***Website:*** *https://dascoaching.in*

📧 ***Email:*** *contact.dascoaching@gmail.com*

www.dascoaching.in